



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

खंड-ए

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम : “बैंक के अधिकारी क्वार्टर नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ब्लॉक ए से ई और कम्यूनिटी हॉल में खिड़कियों को यूपीवीसी खिड़कियों से बदलने के लिए निविदा”

ई-निविदा संख्या- आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/8/25-26/ईटी/219

ए. पात्रता मानदंड:

- “बैंक के अधिकारी क्वार्टर नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ब्लॉक ए से ई और कम्यूनिटी हॉल में खिड़कियों को यूपीवीसी खिड़कियों से बदलने के लिए निविदा” के लिए दो भागों में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
- इस कार्य की अनुमानित लागत ₹48,56,893/- है। इसमें जीएसटी भी शामिल है और इसे 5 कैलेंडर महीनों के भीतर पूरा किया जाना है।
- केवल वे फर्म जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण है और बड़े कार्यालय भवनों/आवासीय परिसरों के लिए समान कार्य करने के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है और उन्होंने अलग-अलग समान कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, जिनकी लागत (ए) तीन कार्य हैं जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है या (बी) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है या (सी) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं है और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹48,56,893/- है।
- निविदा फार्म केवल उन ठेकेदारों को जारी किए जाएंगे जो ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

(ए)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति है, या साझेदारी फर्म है, या कंपनी आदि) विस्तृत रूप से नाम और पता, साझेदार के संस्था के अंतर्नियम/पावर ऑफ अटॉर्नी/ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति, माल और
-----	----------------	---

		सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
(बी)	अनुभव की अवधि	बोलीदाता को समान कार्य/कार्यों को करने के न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और 5 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (अर्थात्, बोलीदाता को 31 मई, 2020 से पहले समान कार्य/कार्यों को करना चाहिए था)* अर्थात् पात्र कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां, कार्य सौंपने की तारीख, अनुबंध की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि और संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र(ओं) को दर्शाते हुए जो वास्तविक पूर्णता की तारीख और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए समान कार्य/कार्यों के वास्तविक मूल्य को दर्शाते हैं और कार्य आदेश की प्रतियां, निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी स्रोत पर कर कठौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। बोलीदाता को कार्य आदेश, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए
(सी)	कार्य अनुभव एवं निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	बोली लगाने वाले के पास 31 मई, 2025 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान समान कार्य/कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए* व्यक्तिगत रूप से लागत (ए) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात ₹19,42,757/- या (बी) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात ₹24,28,447/- या (सी) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात ₹38,85,514/- और कार्य सौंपने की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाते हुए अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए निष्पादित समान कार्य/कार्यों की वास्तविक समाप्ति की तारीख और वास्तविक मूल्य दर्शाते हुए संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र और कार्य आदेश की प्रतियां, स्रोत पर कर कठौती

		(टीडीएस) के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक(ओं) द्वारा जारी प्रमाण पत्र। प्रारूप के अनुसार प्रत्येक अर्हक कार्य के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र
(डी)	ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	आयकर क्लियरेस प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां, साथ ही ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों की प्रतियां, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ऋण पात्रता के प्रमाण के रूप में संलग्न की जानी चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के टर्नओवर की जानकारी अपलोड की जानी चाहिए।
(इ)	बैंकर्स और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे आवश्यकता पड़ने पर फर्म के बैंकर्स के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(एफ)	बैंक खातों का विवरण	बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि अपलोड किया जाना चाहिए।
(जी)	ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	फर्म के ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी, साथ ही संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(एच)	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	कार्यों के ग्राहकवार नाम, कार्यों के निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्यों की प्रदान की गई और वास्तविक लागत, संविदा में निर्धारित समापन समय और कार्यों को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किए गए, अपलोड किया जाना चाहिए।
(आई)	बैंकर्स सर्टिफिकेट	अनुलग्नक-V के अनुसार कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि का बैंकर्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. इच्छुक ठेकेदार द्वारा बैंक को संतुष्ट करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक उन्हें निविदा प्रपत्र/दस्तावेज जारी करने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-I) बोली के साथ ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं को संतुष्ट करने वाले प्रासंगिक

दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वही पात्रता दस्तावेज और ईएमडी की स्कैन की गई कॉपी एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया ई-टैक्सोडी दस्तावेज के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल पर निष्पादित की जाएगी।

6. निविदा प्रपत्र एमएसटीसी पोर्टल से दिनांक 23 जून 2025 को 17.00 बजे से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। निविदा शर्तों के पूर्व-अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ठेकेदारों की बोली पूर्व बैठक 21 जुलाई 2025 को 11.00 बजे संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी।

7. निविदा फार्म www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड किया जा सकता है। प्री-क्वालिफिकेशन पेपर्स और ईएमडी भुगतान के साक्ष्य की स्कैन की गई कॉपी को एमएसटीसी पोर्टल पर टेक्नो कमर्शियल बिड (पार्ट-I) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/बीजी को सीलबंद लिफाफे में मूल रूप से संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 को 01 अगस्त 2025 को 14.00 बजे तक पहुंचना चाहिए। यदि एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो एनईएफटी रसीद को प्री-क्वालिफिकेशन दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। जांच के बाद, यदि कोई भी ठेकेदार आवश्यक योग्यता नहीं रखता है, तो बैंक द्वारा उनकी निविदाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अहंता प्राप्त करने के लिए मांगे जाने पर बैंक को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदा दस्तावेज के विधिवत भरे और मुहर लगे भाग-I को ठेकेदारों द्वारा सभी पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

इच्छुक ठेकेदार www.mstcecommerce.com/eprocn पर पंजीकृत होने के बाद ई-टैक्सोडी में भाग ले सकते हैं। ऑफलाइन भाग I - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से खोली जाएगी और फर्म को लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी, ₹97,138/- रुपये (केवल सत्तानबे हजार एक सौ अङ्गतीस रुपये) की ईएमडी जमा की जानी चाहिए। एनईएफटी के माध्यम से खाता संख्या- 186003001, भारतीय रिजर्व बैंक, आईएफएससी कोड-RBIS0BBPA01, शाखा का नाम - भुवनेश्वर, शाखा का पता - भारतीय रिजर्व बैंक, द्वितीय तल, पं. जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा 'भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर' के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट/बीजी द्वारा। ईएमडी से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन करके पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदा

के भाग-II में कोई शर्त नहीं होंगी, केवल ठेकेदार की मूल्य बोली, बैंक की मात्राओं की अनुसूची, निविदा ड्राइंग्स, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

9. निविदाओं का भाग-I और भाग-II ठेकेदारों द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसे आरबीआई द्वारा 01 अगस्त 2025 को 14.30 बजे खोला जाएगा। जो ठेकेदार अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहते हैं, वे अपने प्रतिनिधियों को संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वितीय तल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 में नियुक्त कर सकते हैं। निविदा का भाग-II बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।

10. ठेकेदारों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

- अनुबंध IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने ग्राहकों से ग्राहक प्रमाणपत्र प्राप्त करें, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में वर्णित पात्रता (पूर्व-पात्रता) मानदंडों के अनुसार "पात्र कार्य" किए हैं। बैंक ठेकेदार के पिछले प्रदर्शन पर उनके ग्राहकों और बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और / या उसके ग्राहकों और / या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- अपने बैंकर/बैंकरों से अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाण-पत्र।

11. बैंक सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

12. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और किसी भी नियम और शर्तों में रियायत देने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। किसी भी ठेकेदार के पास अपनी बोली को अस्वीकार किए जाने के लिए RBI के खिलाफ कोई कार्रवाई या दावा करने का अधिकार नहीं होगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में
लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/8/25-26/ईटी/219

भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। उक्त उद्देश्य के लिए आरबीआई को
जवाब देने के उद्देश्य को छोड़कर, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम,
इलेक्ट्रॉनिक या अन्य पर इसकी प्रतिलिपि, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस
दस्तावेज की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि प्राधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य
के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, पूरी तरह से वर्जित है, और यह कॉपीराइट उल्लंघन के
बराबर होगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक , भुवनेश्वर (बैंक) ने यह निविदा दस्तावेज तैयार किया है। संभावित बोलीदाताओं को यह जानकारी प्रदान की जाती है ताकि वे बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा में बोली लगा सकें।

यह निविदा न तो किसी पार्टी के साथ करार है, न ही किसी पार्टी को किसी भी तरह का कार्य करने का निमंत्रण है। इस निविदा का उद्देश्य सभी इच्छुक पार्टियों के साथ बैंक की आवश्यकताओं को साझा करना है ताकि वे अपनी बोली जमा करने में सक्षम हो सकें। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में निर्धारित सावधानी बरती है, बैंक यह दावा नहीं करता है कि जानकारी संपूर्ण है। इस निविदा के उत्तरदाताओं को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी और उन्हें केवल निविदा में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिवादियों द्वारा कोई निर्धारित सावधानी नहीं रखी जाती है तो बैंक जिम्मेदार नहीं है। बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने, कार्य के दायरे को अद्यतन करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी प्रतिवादी के साथ निविदा पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। अपनी बोली जमा करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार या किसी भी व्यय की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

निविदा अनुसूची (एसओटी)

a. ई-टेंडर नंबर	आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/ संपदा8/25-26/ईटी/219
b. निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग-I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से (www.mstcecommerce.com/eprocn)
c. पार्टियों के लिए डाउनलोड करने हेतु एनआईटी उपलब्ध होने की तारीख (निविदा आमंत्रित करने के लिए सूचना)	23 जून, 2025, 17:00 बजे के बाद
d. बोली-पूर्व बैठक	21 जुलाई, 2025, 11:00 बजे संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, आरबीआई, भुवनेश्वर
e. आरबीआई की वेबसाइट पर प्री-बिड मीटिंग का कार्यवृत्त डालने की तिथि	22 जुलाई, 2025
f. बयाना जमाराशि	₹97,138/- (सत्तानबे हजार एक सौ अड़तीस रुपये मात्र) का ईएमडी निम्नलिखित के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा: i. एनईएफटी: खाता संख्या -186004001, भारतीय रिजर्व बैंक, आईएफएससी कोड - RBIS0BBPA01 (0 = शून्य), शाखा का नाम – भुवनेश्वर। लेन-देन का विवरण estatebhubaneswar@rbi.org.in प्रदान किया जाए। अथवा
g. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	01 अगस्त, 2025, 14:00 बजे तक

<p>h. ई-निविदा शुरू होने की तिथि ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करना www.mstcecommerce.com/eprocn</p>	<p>22 जुलाई, 2025, 14:00 बजे से</p>
<p>i. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि</p>	<p>01 अगस्त, 2025, 14:00 बजे तक</p>
<p>j. भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी, तकनीकी बोली) भाग- II मूल्य बोली: भाग-II के खुलने की तिथि यानी मूल्य बोली की सूचना अलग से दी जाएगी</p>	<p>01 अगस्त, 2025, 14:30 बजे</p>
<p>k. लेनदेन शुल्क</p>	<p>एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा शुल्क के अनुसार। लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।</p>



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर
विषय-सूची

क्र. सं.	विवरण	पेज नं.
1	खंड ए: ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना	5
2	खंड बी: महत्वपूर्ण जानकारी	9
3	खंड सी: निविदा/ज्ञापन का रूप	11
4	खंड डी: ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	13
5	खंड ई: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें	17
6	खंड एफ: सुरक्षा कोड और अग्रि सुरक्षा	25
7	खंड जी: संविदा-वाणिज्यिक की शर्तें	28
8	खंड एच: प्रतिबंध के संबंध में अंडरटेकिंग	46
9	अनुलग्नक I: करार	48
10	अनुलग्नक II: ईएमडी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	52
11	अनुलग्नक III: कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	55
12	अनुलग्नक IV: ग्राहक प्रमाणपत्र	58
13	अनुलग्नक V: बैंकर प्रमाणपत्र	59
14	अनुलग्नक VI: कार्यों की सूची	61
15	अनुलग्नक VII: प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी	62
16	अनुलग्नक VIII: परिशिष्ट इससे पहले संदर्भित	63
17	अनुलग्नक IX: वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची	64
18	अनुलग्नक X: तकनीकी विचलन की अनुसूची	65
19	अनुलग्नक XI: कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका का प्रारूप	66
20	अनुलग्नक XII: भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा अंडरटेकिंग / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा	71
21	अनुलग्नक XIII: प्रोजेक्ट फलोअप के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स	72
22	अनुलग्नक XIV: ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई सामग्री के अग्रिम भुगतान के संबंध में अंडरटेकिंग	73
23	खंड I: तकनीकी विनिर्देश	76

24	खंड जे: अनुमोदित मेक/ब्रांड की सूची	83
25	खंड K: अनप्राइस्ड मात्रा बिल	84
26	भाग II (मूल्य बोली)	92



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

खंड ए

ई-टेंडर आमंत्रित करने की सूचना

कार्य का नाम: " बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा "

A. पात्रता मानदंड:

- दो भागों में ई-निविदाएं " बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने" के लिए आमंत्रित की जाती हैं।
- इस कार्य की अनुमानित लागत ₹48,56,893/- है। इसमें जीएसटी भी शामिल है और यह कार्य 30 दिनों के भीतर पूरा पूरा किया जाना है।
- केवल वे फर्म जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकृत है और जिनके पास बड़े कार्यालय भवनों/आवासीय परिसरों के लिए इसी तरह के कार्य करने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है और व्यक्तिगत रूप से सफलतापूर्वक समान कार्यों को निष्पादित किया है (ए) तीन कार्य प्रत्येक अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं हैं या (बी) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होगी अथवा (सी) एक कार्य की लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो, जो पिछले 5 वर्षों के दौरान अनुमानित लागत

के 80% के बराबर राशि से कम न हो, और जिनका पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹48,56,893/- हो।

4. निविदा प्रपत्र केवल उन्हीं ठेकेदारों को जारी किए जाएंगे जो ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं।

(क)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति है, या साझेदारी फर्म है, या कंपनी आदि) विस्तृत रूप से नाम और पता, साझेदार के संस्था के अंतर्नियम/पावर ऑफ अटॉर्नी/ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति, माल और सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
(ख)	अनुभव की अवधि	बोलीदाता को समान कार्य/कार्यों को करने के न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और 5 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (अर्थात्, बोलीदाता को 31 मई 2020 से पहले समान कार्य/कार्यों को करना चाहिए था)* अर्थात् पात्र कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां, कार्य सौंपने की तारीख, संविदा की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि और संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र(ओं) को दर्शाते हुए जो वास्तविक पूर्णता की तारीख और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए समान कार्य/कार्यों के वास्तविक मूल्य को दर्शाते हैं और कार्य आदेश की प्रतियां, निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र।
(सी)	कार्य अनुभव एवं निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	बोली लगाने वाले के पास 31 मई 2020 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान समान कार्य/कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए* व्यक्तिगत रूप से लागत (ए) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् ₹19,42,757/- या (बी) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् ₹24,28,447/- या (सी) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् ₹38,85,514/- और कार्य सौंपने की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाते हुए अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए निष्पादित समान कार्य/कार्यों की वास्तविक समाप्ति की तारीख और

		वास्तविक मूल्य दर्शाते हुए संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र और कार्य आदेश की प्रतियां, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र। प्रारूप के अनुसार प्रत्येक अर्हक कार्य के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र
(डी)	ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां, साथ ही ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम लेखों की प्रतियां, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ऋण पात्रता के प्रमाण के रूप में संलग्न की जानी चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के टर्नओवर की जानकारी अपलोड की जानी चाहिए।
(इ)	बैंकर्स और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे आवश्यकता पड़ने पर फर्म के बैंकर्स के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(एफ)	बैंक खातों का विवरण	बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि अपलोड किया जाना चाहिए।
(जी)	ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	फर्म के ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी, साथ ही संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(एच)	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	कार्यों के ग्राहकवार नाम, कार्यों के निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्यों की प्रदान की गई और वास्तविक लागत, संविदा में निर्धारित समापन समय और कार्यों को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किए गए, अपलोड किया जाना चाहिए।
(आई)	बैंकर्स सर्टिफिकेट	अनुलग्नक-V के अनुसार कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि का बैंकर्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. इच्छुक ठेकेदारों को निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-I) बोली के साथ ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं को पूरा करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पात्रता संबंधी वही दस्तावेज और बयान राशि की स्कैन की हुई प्रति एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से निष्पादित की जाएगी।

6. निविदा फार्म 23 जून, 2025 को शाम 17:00 बजे से एमएसटीसी पोर्टल से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। निविदा शर्तों के पूर्व-अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ठेकेदारों की एक बोली-पूर्व बैठक **21 जुलाई, 2025** को सुबह 11:00 बजे संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी।

7. निविदा फार्म www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड किया जा सकता है। प्री-कालिफिकेशन पेपर्स और ईएमडी भुगतान के साक्ष्य की स्कैन की गई कॉपी को एमएसटीसी पोर्टल पर टेक्नो कमर्शियल बिड (पार्ट-I) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/बीजी को सीलबंद लिफाफे में मूल रूप से संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी फ्लोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 को **01 अगस्त, 2025** तक **14:00** बजे तक तक पहुंचना चाहिए। यदि एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो एनईएफटी रसीद को प्री-कालिफिकेशन दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। जांच के बाद, यदि कोई भी ठेकेदार आवश्यक पात्रता नहीं रखता है, तो बैंक द्वारा उनकी निविदाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मांगे जाने पर बैंक को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदा दस्तावेज के विधिवत भरे और मुहर लगे भाग-। को ठेकेदारों द्वारा सभी पूर्व-पात्रता दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

इच्छुक ठेकेदार www.mstcecommerce.com/eprocn पर पंजीकृत होने के बाद ई-टेंडर में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग । - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग ॥ - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से खोली जाएगी और फर्म को लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा ।

8. निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के भाग-। में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी, ₹97,138/- की ईएमडी एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से खाता संख्या-**186003001**, भारतीय रिज़र्व बैंक, IFSC कोड- **RBIS0BBPA01**, शाखा का नाम - भुवनेश्वर, शाखा का पता - भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वितीय तल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 पर प्रस्तुत की जानी चाहिए या 'भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर' के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट / अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। ईएमडी से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन किया जाना चाहिए और पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदा के भाग-॥ में कोई शर्तें नहीं होंगी, केवल ठेकेदार की मूल्य बोली शामिल होंगे।

9. निविदाओं का भाग-। और भाग-॥ ठेकेदारों द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसे आरबीआई द्वारा **01 अगस्त, 2025** को **14:30** बजे खोला जाएगा। जो ठेकेदार अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहते हैं, वे अपने प्रतिनिधियों को संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वितीय तल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 में नियुक्त कर सकते हैं। निविदा का भाग-॥ बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।

10. ठेकेदारों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

a. अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने ग्राहकों से ग्राहक प्रमाणपत्र प्राप्त करें, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में वर्णित पात्रता (पूर्व-पात्रता) मानदंडों के अनुसार "पात्र कार्य" किए हैं। बैंक ठेकेदार के पिछले कार्यानिष्ठादन पर उनके ग्राहकों और बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और / या उसके ग्राहकों और / या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी कार्यानिष्ठादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

b. अपने बैंकर/बैंकरों से अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाण-पत्र।

11. बैंक सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

12. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और किसी भी नियम और शर्तों में रियायत देने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। किसी भी ठेकेदार के पास अपनी बोली को अस्वीकार किए जाने के लिए बैंक के प्रति कोई कार्रवाई या दावा करने का अधिकार नहीं होगा।



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

महत्वपूर्ण जानकारी

बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

1. बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने के कार्य के लिए ई-निविदाएं दो भागों में आमंत्रित की जाती हैं। इस कार्य पर जीएसटी सहित ₹48,56,893/- की लागत आने का अनुमान है और कार्य 5 कैलेंडर माह के भीतर इसे पूरा किया जाना है।
2. निविदा फॉर्म एमएसटीसी पोर्टल से 23 जून, 2025 को 17:00 बजे से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
3. उपरोक्त कार्य के लिए निविदाएं दो भागों में हैं, अर्थात् भाग- I जिसमें तकनीकी विनिर्देश और नियम और शर्तें (वस्तुओं की दरें और मात्रा इस भाग में कहीं भी दिखाई नहीं देगी) और भाग- II जिसमें केवल आंकड़ों और शब्दों में बताई गई वस्तुओं की दरें और आंकड़े में राशि हैं, इसे एमएसटीसी पोर्टल पर 01 अगस्त, 2025, 14:00 बजे तक भरा/अपलोड/संलग्न किया जाना होगा। निविदाओं का भाग-1 उसी दिन 14:30 बजे खोला जाएगा। निविदा का भाग- II ठेकेदारों को सूचित करते हुए बाद की तारीख को खोला जाएगा। ठेकेदारों को सूचना दी जाती है कि वे अपने स्वयं के लेटरहेड पर या अन्यथा किसी भी सूचना/दर/राशि आदि को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य फॉर्म का उपयोग न करें। मांगी गई सभी जानकारी सभी प्रकार से पूरी होगी। निविदा के भाग-II में किसी भी संलग्नक की अनुमति नहीं है। अपूर्ण निविदाएं या निविदाएं जो आवश्यकता का अनुपालन नहीं करती हैं, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।
4. निविदा प्रस्तुत करने से पहले, ठेकेदार निर्दिष्ट कार्यों के दायरे का अध्ययन करने और समझने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से आकर साइट का निरीक्षण कर सकता है।
5. भाग I की निविदा ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 01 अगस्त, 2025, 14:30 बजे को खोली जाएगी जो उपस्थित होने का विकल्प चुनते हैं और उन निविदाओं में से जो निविदाओं के भाग I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, उनकी मूल्य बोली (भाग II) बाद के कार्य दिवस पर खोली जाएगी जिसे सभी पात्र ठेकेदारों को सूचित किया जाएगा।

A. कार्य की अनुमानित लागत	₹48,56,893/- जीएसटी सहित
B. एनईएफटी/डीडी के माध्यम से बोली प्रतिभूति राशि/ईएमडी	₹97,138/-
C. बोली प्रतिभूति राशि/ईएमडी और निविदा की लागत एनईएफटी/डीडी के माध्यम भुगतान की जाएगी	₹97,138/- (सत्तानबे हजार एक सौ अड़तीस रुपये मात्र) का ईएमडी निम्नलिखित के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा: i. एनईएफटी: खाता संख्या -186004001, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईएफएससी कोड - RBISOBBA01 (0 = शून्य), शाखा का नाम – भुवनेश्वर। लेन-देन का विवरण estatebhubaneswar@rbi.org.in प्रदान किया जाए। अथवा ii. डिमांड ड्राफ्ट/बीजी: भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के पक्ष में डीडी/बीजी की सुपुर्दग्गी भारतीय रिज़र्व बैंक, पं. जे. एन. मार्ग, भुवनेश्वर-751001 पर भौतिक रूप में की जाएगी।
D. एमएसटीसी पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की तारीख एवं समय	23 जून, 2025, 17:00 बजे से
E. प्री-बिड मीटिंग की तिथि और स्थान	21 जुलाई, 2025, संपदा विभाग, आरबीआई भुवनेश्वर
F. पूर्ण बोली जमा करने की अंतिम तिथि और स्थान	01 अगस्त, 2025, 14:00 बजे तक
G. भाग - I के खुलने की तिथि और समय (तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां)	अगस्त 01, 2025 पर 14: 30 बजे
H. भाग - II के खुलने की तिथि और समय (वित्तीय बोलियां)	टेक्नो - वाणिज्यिक बोलियों की जांच के बाद सभी ठेकेदारों को सूचित किया जाएगा
I. कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14वें दिन से
निविदा की वैधता	टेक्नो-कमर्शियल बोली खुलने की तारीख से 90 दिन

उत्पन्न होने वाले सभी विवाद क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे	भुवनेश्वर
कार्य पूरा होने का समय	कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14वें दिने से 5 कैलेंडर माह



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

खंड सी
निविदा का प्रपत्र

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

महोदय,

हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा किया है और जांच की है और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम एतद्वारा निर्दिष्ट कार्यों को निर्दिष्ट समय के भीतर, मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और करारनामे में निर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों और निर्देशों के साथ, विनिर्देश, कार्यों की अनुसूची, डेटा शीट और मात्राओं की अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ जो अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार, यथा लागू सभी मामलों में, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों, शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

(a)	कार्यों का विवरण	बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्पुनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा
(b)	अनुमानित लागत	₹48,56,893/- (जीएसटी सहित)
(c)	भुगतान का तरीका	एनईएफटी या डीडी या बीजी
(d)	बयाना राशि	97,138/- रुपये (केवल सत्तानबे हजार एक सौ अड़तीस रुपये)
(e)	निविदा को स्वीकार करने संबंधी पत्र की तारीख से 14 दिन बाद से कार्य पूरा करने के लिए समय दिया गया	5 कैलेंडर माह

उपरोक्त कार्य ज्ञापन (और निष्पादित किए जाने वाले कार्य के अन्य विवरण) की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर मूल्य बोली में निर्दिष्ट दरों पर और बैंक के विनिर्देशों के अनुसार उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं। निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर संविदा की शर्तों से परिचित होने के बाद ही हस्ताक्षर किए गए हैं।

यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इस संबंध में बैंक के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/ हैं।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक के पास "भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/बीजी/एनईएफटी के रूप में ₹97,138/- की राशि जमा करने का वचन देते हैं, इस राशि पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि मैं/हम संविदा को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि मेरी/हमारी यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

हमारे बैंकर हैं:

- i) _____
ii) _____

हमारी कंपनी के मालिक / फर्म के भागीदार के नाम और पते हैं:

- i) _____
ii) _____
iii) _____
iv) _____

मैसर्स के लिए और उसकी ओर से

फर्म के भागीदार की मुहर के साथ हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

स्थान

दिनांक

(उपरोक्त हस्ताक्षर की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

खंड डी

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन टेंडर प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। वेंडर के पास क्लास ॥। हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट कनेक्टेड पी सी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली होनी चाहिए

केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन सबमिट करना है। (वर्जन 3)

1) वेंडर को www.mstcecommerce.com/eprocn के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है।

वेंडर के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं

वेंडर को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

सम्पर्क करने का विवरण:

a) वेंडर के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडर के लिए)

फोन नंबर :07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का

उल्लेख करें)

उपलब्धता

ई-टेंडर से जुड़े सभी तकनीकी मुद्दों, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

b) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएँ

व्यक्ति से संपर्क करें	डाक	मोबाइल
श्री महेश रामवथ	rmaheesh@mstcindia.co.in	8801281004
श्री टीडीएमवी सत्यसाई	tsatyasai@mstcindia.co.in	6370350776
हेल्प डेस्क/ऑफिस	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/ 2950091

c) आरबीआई (आरओ/टीई) पर संपर्क व्यक्ति

श्री प्रेम शंकर कोनपाला, सहायक महाप्रबंधक – premshankark@rbi.org.in (मोबाइल – 8074376753)


श्री अमृता सामल, प्रबंधक (टी-सी) amritasamal@rbi.org.in (मोबाइल – 8895504207)

श्री आकोजू श्रवण कुमार, एएम – asravankumar@rbi.org.in (मोबाइल – 8008265842)

गाइड

1. सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, वेंडर <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध सिस्टम सेटिंग गाइड को डाउनलोड कर सकता है



- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii. एज/गूगल क्रोम
- iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- iv) सिस्टम में डाउनलोड और स्थापित किए जाने वाले नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन सॉफ्टवेयर।

डीएससी के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

- Tools => Internet Options => Security => Disable protected Mode If enabled- i.e, Remove the tick from the tick box mentioning “Enable Protected Mode”.
- Other Settings:
Tools => Internet Options => General => Click On Settings under “browsing history/Delete Browsing History” => Temporary Internet Files => Activate “Every time I Visit the Webpage”.

सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और के तहत 'यूज पॉप अप ब्लाकर' को डिसेबल करने के लिए उपकरण→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर (कृपया पृष्ठ से आईई सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार रन करें)

2. लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट: वेंडर को अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर"/"इवेंट कैटलॉग" में "भुगतान लेनदेन शुल्क" के माध्यम से विशिष्ट निविदा के प्रति "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर बिना किसी बदलाव के चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान

करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में प्रस्तुत हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक वेंडर लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर ऐक्सेस कर कर पाएगा।

नोट: बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे अनुसूची के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से प्रस्तुत कर दें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। वेंडर से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने क्लास ॥। हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा ऐक्सेस नहीं होगी।

5. ई-टेंडर में बोली:

नोट: वेंडर को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेनू के दस्तावेज़ अपलोड के लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम साइज 5 एमबी है।

एक बार **लाइब्रेरी** में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर विशेष ई-निविदा के प्रति अटैच दस्तावेज़ लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि यदि दस्तावेज किसी ई-टेंडर से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

- बोलीदाता को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, गैर-वापसी योग्य है।

ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

- b) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क प्रस्तुत कर दिया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-procurement → New Common Portal → Bid Floor Manager → live event → Selection of the live event → Transaction fee->Common terms->Attach Documents->Price Bid का पालन करें।

कृपया नोट करें: वेंडर लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, वेंडर को लॉट विशिष्ट शर्तों को सेव करने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के प्रति अपनी मूल्य बोली प्रस्तुत करने या मूल्य बोलियां प्रस्तुत करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। क्या यह सफल/लंबित है, इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

- c) सबसे पहले, वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि वेंडर अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

- d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- e) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

- f) ई-टेंडर का कार्य पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार बुलाया जाएगा।**
- h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां क्लास ॥। हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- i) क्रेता के पास कोई कारण बताए बिना निविदा को रद्द या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- j) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर में बोली प्रस्तुत करना ई-टेंडर के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर **ई-निविदा फ्लोर/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम** के अनुसार भारतीय रूपये में होनी चाहिए।

खंड ई

ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

1.1 बैंक के ऑफिसर्स क्वार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा के लिए दो भागों में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस कार्य पर जीएसटी सहित ₹48,56,893/- की लागत आने का अनुमान है और इसे कार्य आदेश जारी होने के बाद 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

1.2 उपर्युक्त कार्य के लिए निविदाएं दो भागों में हैं। तकनीकी विनिर्देशों और शर्तों (वस्तुओं की दरें और मात्रा इस भाग में कहीं भी दिखाई नहीं देंगी) और **भाग- II** जिसमें केवल आंकड़ों और शब्दों में बताई गई वस्तुओं की दरें और आंकड़े में राशि शामिल हैं, उन्हें **1 अगस्त 2025, 14.00 बजे** तक एमएसटीसी पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। ई-निविदाओं का भाग-1 (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) उसी दिन **14.30 बजे खोला** जाएगा। **पात्र अर्हक निविदाओं का भाग- II सभी ठेकेदारों को सूचित करते हुए बाद की तारीख को खोला जाएगा।** ठेकेदारों को केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा के लिए आवेदन करना होगा और अपने स्वयं के लेटरहेड पर किसी भी अन्य फॉर्म का उपयोग नहीं करना होगा या अन्यथा किसी भी दर/राशि आदि को प्रस्तुत करने के लिए। मांगी गई सभी जानकारी सभी प्रकार से पूरी होगी।

निविदा के भाग II में किसी भी अनुलग्नक की अनुमति नहीं है। अपूर्ण निविदाएं या निविदाएं जो आवश्यकता का अनुपालन नहीं करती हैं, अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

यदि इच्छुक ठेकेदार को लगता है कि निविदा दस्तावेजों के किसी भी नियम और शर्तों में से कोई भी उन्हें स्वीकार्य नहीं है या उन्हें लगता है कि अतिरिक्त नियमों और शर्तों को शामिल करने की आवश्यकता है, तो वे इन शर्तों या अतिरिक्त या संशोधित शर्तों को केवल अलग सीलबंद कवर (डुप्लिकेट) में इंगित कर सकते हैं। अन्य सभी नियम और शर्तें जिन पर इच्छुक ठेकेदारों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है, का निर्माण ठेकेदार को स्वीकार्य के रूप में किया जाएगा।

(a) निविदा के भाग-II, जिसमें केवल मदों की दरें और आंकड़ों और शब्दों में बताई गई राशि शामिल है, को बाद की तारीख को खोला जाएगा और सभी ठेकेदारों को सूचित किया जाएगा।

(b) निविदाएं निविदा के भाग- I खोलने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी, जिसकी अवधि आपसी करार द्वारा बढ़ाई जा सकती है और ठेकेदार इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

a. निविदा के भाग II के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

b. प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए

जाने चाहिए, जो संविदा की सामान्य शर्तें, विनिर्देशों और विशेष शर्तें आदि से खुद को परिचित करते हैं। किसी भी दस्तावेज के साथ किसी भी निविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे।

c. एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ठेकेदार पर फर्म के सभी साझेदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित संविदा करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है, अन्यथा निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

d. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने लिए आरक्षित रखता है।

1.3 बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल ठेकेदार संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल ठेकेदार मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा, किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा होगी और इसलिए निविदा भले यह कि इस तरह के औपचारिक करार है या नहीं, बाद में निष्पादित किया जाता है।

1.4.i. पूर्णता अवधि के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी): कार्य सौंपने पर, सफल संविदाकार संविदा की देय पूर्ति के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में संविदा मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि या ऑनलाइन मोड (एनईएफटी / आरटीजीएस) के माध्यम से पीबीजी के समतुल्य राशि प्रस्तुत करेगा। यह निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रारंभ में संविदा अवधि (दोष देयता अवधि तक) से अधिक दो (2) माह की अवधि के लिए वैध होगी और संविदा अवधि के विस्तार के मामले में कार्य के पूरा होने तक और दो (2) माह के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। इस तरह की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसे डीएलपी (आभासी पूर्णता से 1 वर्ष) पूरा होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में देरी के मामले में, निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किए जाएंगे।

ii. रिटेंशन मनी (आरएम): 5% पीबीजी के अलावा, प्रत्येक बिल से प्रतिधारण राशि @ 5% काट ली जाएगी और एक वर्ष की दोष देयता अवधि (डीएलपी) के संतोषजनक समापन के बाद प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

1.5 इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना राशि और प्रतिभूति राशि से काटा जा सकता है यदि राशि अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी प्रस्तुत अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर इस तरह की

कटौती की गई राशि को नकद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

1.6 ठेकेदारों को इस निविदा में शामिल प्रोफार्मा के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए ऐसे सभी समान कार्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। बैंक निविदाओं के भाग ॥ को खोलने से पहले एक या सभी कार्यों का निरीक्षण करेगा और गुणवत्ता और पूरा होने की समय अवधि आदि सहित कार्य के प्रदर्शन के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा। इसके बाद, बैंक अपने विवेक पर बिना कोई कारण बताए कि सी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार कर सकता है।

1.7 ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के ड्राइंग, विवरण और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को करेगा। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा जमा करने से पहले इस कार्य से संबंधित सभी ड्राइंग की जांच कर लें, जो एस्टेट विभाग, भुवनेश्वर कार्यालय में उपलब्ध हैं।

1.8 उद्धृत दरें घट होंगी और विनिमय दर, करों की दर, शुल्क, लेवी या श्रम दरों में भिन्नता के अधीन नहीं होंगी। दरों को पूरे कार्य के लिए उद्धृत किया जाएगा और इसमें सभी करों, उपकर, शुल्कों, उपभोग्य सामग्रियों, श्रम, परिवहन, पारगमन के लिए बीमा, भंडारण के साथ-साथ श्रमिकों का मुआवजा और तीसरे पक्ष की देयता नीतियां, निष्पादन और निष्पादित कार्य को बैंक को सौंपने के लिए शुल्क शामिल होंगे, बैंक द्वारा किसी भी कर, शुल्क और लेवी के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह, बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। सभी भुगतान भुवनेश्वर में किए जाएंगे और केवल भारतीय रूपये में होंगे। ठेकेदारों को सूचना दी जाती है कि वे उद्धृत राशि में जीएसटी और अन्य लागू उपकर जैसे श्रम उपकर को शामिल करें।

1.9 ठेकेदारों को सूचना दी जाती है कि वे बीओक्यू के अनुसार केवल बोली लगाएं। मात्राओं की अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित है। ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा आइटम दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि मात्रा-अनुसूची के लिए दरें लगभग कार्य की कुल सीमा को इंगित करती हैं, लेकिन प्रत्येक आइटम के लिए भिन्न हो सकती हैं, सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। किसी भी सीमा तक मात्रा और यहां तक कि कार्यस्थल की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर केवल बैंक के विवेक पर छोड़ा जा सकता है, इस प्रकार संविदा के कुल मूल्य को बदल दिया जाता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.10 निविदा के साथ मेक इन की सूची के साथ पूर्ण तकनीकी और निर्माण संबंधी विवरण देने वाले पत्रक/साहित्य भी शामिल होंगे।

1.11 ठेकेदार को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने के उद्देश्य से और संविदा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और ड्राइंग (जो संपदा विभाग में उपलब्ध हैं) की जांच करनी चाहिए और कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय परिस्थितियों यथा कार्य तक पहुंच के फेसिंग, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामले से खुद को परिचित होना चाहिए।

1.12 ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 14 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी। संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य को सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा की शर्तों के खंड 1.25 में परिभाषित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार कार्य शुरू करने से पहले एक विस्तृत कार्य अनुसूची तैयार करेगा जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

1.13 ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में देरी के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, जो भी देरी का कारण हो सकता है, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन से उत्पन्न होने वाली देरी या उससे जुड़े किसी भी उप-संविदा में देरी या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए संविदा देने में देरी या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में या खरीद में देरी शामिल है नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्यों के लिए या किसी अन्य कारण से पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में और बैंक उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

1.14 सफल ठेकेदार कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की किसी भी वस्तु को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तुओं को मात्रा और दरों में शामिल न किया गया हो। ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची वास्तुकार द्वारा लिखित रूप में पूर्व सहमति के साथ लिखित रूप में जारी की जाएगी।

1.15 सफल ठेकेदार को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि कार्य कम से कम संभव देरी के साथ और बैंक की संतुष्टि के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े।

1.16 ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य आर्किटेक्ट्स द्वारा किए गए विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुपालन में भी किए जाएंगे।

1.17 सफल ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए एक बार चार्ट अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

1.18 सफल ठेकेदार स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बौद्ध दिनों के भीतर स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य के मुद्रांकित कागज पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने को एक बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक करार को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी।

1.19 सिस्टम के लिए भुगतान भुवनेश्वर कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिस सिस्टम की आपूर्ति की गई और स्थापित किया गया है। इस संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को भी केवल भुवनेश्वर के अधिकार क्षेत्र में ही सुलझाया जाएगा।

1.20 ठेकेदार उन बैंकरों का नाम और पता प्रस्तुत करेगा जिनके साथ वे सामान्य रूप से बैंक करते हैं। वे अपने हाल के ग्राहकों के नाम और पते भी प्रस्तुत करेंगे, जिनके लिए उन्होंने हाल के दिनों में इसी तरह के कार्य/आपूर्ति की है, साथ ही आपूर्ति की गई प्रणाली/मशीन की लागत और क्षमता, आपूर्ति की तारीख आदि जैसे पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

1.21 बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.22 ठेकेदार इसके साथ संलग्न सुरक्षा संहिता के प्रावधान का सख्ती से पालन करेगा।

1.23 ठेकेदार कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर कार्यस्थल प्रभारी / पर्यवेक्षक और उसके अधिकृत प्रतिनिधि के नाम और व्यक्तिगत विवरण उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों और अधिकार (पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रलेखन, माप, माप पर हस्ताक्षर करने, माप पुस्तिका, पत्राचार, बैंक से निर्देश प्राप्त करने आदि के संबंध में) प्रस्तुत करेगा।

1.24 सभी बोलीदाता एक विस्तृत बार चार्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कार्य में शामिल विभिन्न प्रमुख गतिविधियों और उनकी अपेक्षित पूर्णता अवधि का विवरण होगा, जिसमें कार्य के निर्धारित प्रारंभ से शुरू होने वाली समानांतर और अनुक्रमिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किया गया होगा ताकि निविदा के भाग- । के साथ निविदा निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरे कार्य को पूरा किया जा सके। बोलीदाताओं को नियोजित अनुसूची के अनुरूप उपरोक्त उद्देश्य के लिए उनके द्वारा योजना के अनुसार श्रमशक्ति /श्रम की अनुमानित तैनाती का भी उल्लेख करना होगा। कार्य सौंपने के बाद, ठेकेदार को सूक्ष्म योजना बनाने की आवश्यकता होगी और कार्य की प्रगति की उचित योजना, निगरानी और समीक्षा के लिए कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर विस्तृत अनुसूची/बार चार्ट प्रस्तुत किया जाएगा।

1.25 कार्य की प्रगति की समीक्षा बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाएगी। बैठक कार्यस्थल पर या बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में आयोजित की जा सकती है। बैठक में ठेकेदार स्वयं (स्वामित्व फर्म के मामले में) या साझेदारी फर्म/लिमिटेड कंपनी के मामले में अधिकृत भागीदार / वरिष्ठ अधिकारी के साथ-साथ ठेकेदार के कार्यस्थल प्रभारी को भाग लेना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, ठेकेदार निम्नलिखित दर्शते हुए एक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा:

- पिछले माह की प्रगति और अगले माह की योजना।
- नियोजित समय-सारणी में प्रमुख विचलन के कारण तथा प्राप्त वास्तविक प्रगति तथा बैंक से अपेक्षित किसी भी बाधा/निर्णय के बारे में जानकारी ।
- लंबी लीड वाली वस्तुओं के लिए खरीद अनुसूची

- d) विविधताएं/अतिरिक्त आइटम स्टेटमेंट
- e) माह के दौरान किए गए विभिन्न परीक्षणों और यदि आवश्यक हो तो अगले माह के लिए योजना बनाई गई जानकारी को दर्शनी वाला विवरण।

1.26 ठेकेदार कार्यस्थल पर निम्नलिखित रजिस्टर/दस्तावेज बनाए रखेगा और उन्हें नियमित आधार पर अपडेट रखेगा। कार्य पूरा होने के बाद इन रजिस्टरों/दस्तावेजों को बैंक को सौंप दिया जाएगा:

- a) बैंक के अनुमोदित प्रारूप में बाधा रजिस्टर
- b) कार्यस्थल निर्देश पुस्तिका (डुप्लिकेट में)
- c) संविदा की प्रमाणित सत्य प्रति
- d) डिलीवरी चालान की प्रतियों के साथ सामग्री रसीद रजिस्टर
- e) उन सभी बिलों की प्रतियां जिनके लिए मूल दर निविदा में निर्दिष्ट है
- f) लेबर दैनिक उपस्थिति रजिस्टर
- g) विस्तृत अनुसूची/बार चार्ट को मंजूरी दी गई है और उसके संशोधनों को मंजूरी दी गई है, यदि कोई हो।
- h) मासिक प्रगति समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए
- i) अतिरिक्त आइटम/भिन्नता/विचलन वस्तुओं के लिए पंजीकरण करें
- j) निर्माता/प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट/प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ सामग्री परीक्षण रजिस्टर

1.27 ठेकेदार केवल अनुमोदित ब्रांडों की सामग्री का उपयोग करेगा जैसा कि अनुलग्नक में दिया गया है। भाग-I में निविदाकर्ता द्वारा इंगित किए गए ऐसे किसी भी विकल्प के अभाव में, ठेकेदार को बैंक के निर्देशों के अनुसार सामग्री का उपयोग करना आवश्यक होगा।

1.28 जहां भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को बैंकों के सत्यापन के लिए सभी भुगतान किए गए बिल प्रस्तुत करने चाहिए। खरीद दर को खरीदने से पहले बैंक से अनुमोदित किया जाएगा। कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। लागत अंतर पर कोई ओवरहेड और लाभ नहीं माना जाएगा। मूल मूल्य गोदामों से निकाले गए हैं और इनमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, चुंगी और स्थानीय प्राधिकरण/सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य सभी शुल्क शामिल हैं। उद्धृत दर में कार्यस्थल के लिए परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग आदि शामिल होंगे।

1.29 बैंक को खरीद/निर्माण से पहले सभी सामग्रियों, सहायक उपकरणों/फिनिश के नमूने तैयार करने के लिए ठेकेदार की आवश्यकता होगी। बैंक का इंजीनियर कार्य के लिए सामग्री के नमूनों को मंजूरी देगा। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्य को अस्वीकार किया जा सकता है।

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

स्थानः

दिनांकः

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

पदनामः

फर्म की मुहर

विशेष शर्तें

1. श्रमिकों को परिसर के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. कार्य या श्रमिकों के लिए आवश्यक पानी कार्यस्थल पर उपलब्ध स्रोत से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। ठेकेदार को अपनी लागत पर उन्हें दिखाए गए बिंदु से ही टैप करना होगा।
3. कार्य के लिए आवश्यक बिजली भी इसी तरह कार्यस्थल पर मुफ्त में उपलब्ध आपूर्ति से लिया जा सकता है। ठेकेदार को अपनी लागत पर उन्हें दिखाए गए बिंदु से ही टैप करना होगा।
4. स्थानीय निकायों से अनुमति, यदि कोई हो, की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार द्वारा उनकी लागत पर प्राप्त की जाएगी।
5. भले ही फिनिशिंग आइटम में, पेंट/पॉलिश के कोटों की संख्या का उल्लेख किया गया है, ठेकेदार ध्यान देगा कि पूरे फर्नीचर को सौंपते समय शीर्ष श्रेणी में समाप्त किया जाना चाहिए, जिसमें यदि आवश्यक हो, तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के पेंटिंग/पॉलिशिंग आदि का अतिरिक्त कोट शामिल है।
6. इच्छुक निविदाकर्ता किसी भी बैंक के कार्य दिवस पर उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, भुवनेश्वर के कार्यालय से निविदा ड्राइंग्स, विनिर्देशों आदि के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
7. कार्य के लिए पूरी सामग्री को सीढ़ियों के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाया जाएगा। सामग्री की डिलीवरी निविदाओं में निर्दिष्ट मंजिलों पर दी जाएगी।
8. जहां भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की जाती है, ठेकेदार को खरीद की वास्तविक दर का पता लगाने के लिए खरीदी गई सामग्री के सभी भुगतान किए गए बिलों के सत्यापन के लिए बैंक को प्रदान करना चाहिए ताकि सामग्री की लागत में अंतर का निपटान किया जा सके। खरीदने से पहले दर को बैंक से अनुमोदित किया जाएगा। सामग्री की कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। लागत अंतर पर किसी भी ओवरहेड या लाभ पर विचार नहीं किया जाएगा। सामग्री के लिए मूल मूल्य को करों सहित डीलर के गोदाम में सामग्री की लागत के रूप में लिया जाएगा।
9. उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबे/धूल या किसी भी अपशिष्ट को जितनी बार आवश्यक हो और बैंक के इंजीनियर द्वारा बैंक के परिसर से दूर निर्देशित किया जाएगा, साफ किया जाएगा।
10. निविदाकर्ता केवल अनुमोदित ब्रांड सामग्री का उपयोग करेगा।
11. एक योग्य, अनुभवी और जिम्मेदार पूर्णकालिक पर्यवेक्षक को कार्यस्थल पर तैनात किया जाएगा जो ठेकेदार के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना, निर्देश प्राप्त कर सकता है, सामग्री का लेखा-जोखा बनाए रख सकता है आदि कार्यस्थल पर निर्णय ले सकता है।
12. ठेकेदारों की ओर से कोई चूक नहीं होगी, जिससे रहने वालों को नुकसान हो सकता है।
13. कर्मचारियों को कम से कम असुविधा के साथ कार्य किया जाना चाहिए।
14. कार्य शुरू होने से पहले अनुसूची प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि बैंक सुचारू रूप से कार्य करने और बेहतर प्रगति के लिए रहने वालों को अग्रिम रूप से सूचित कर सके और समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
15. किसी भी मजदूर को कार्य के घंटों के बाद परिसर के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
16. ठेकेदारों को ऐसे कार्यों के लिए मौजूदा स्थानीय उपनियमों के अनुसार स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होती है और प्रभार/शुल्क, यदि कोई हो, को ठेकेदार द्वारा वहन और भुगतान किया जाना होता है, जिसमें पानी और जल निकासी प्रभार शामिल हैं।

17. ठेकेदार के पास श्रम आयुक्त से वैध श्रम लाइसेंस होना चाहिए, जहां भी कार्यरत श्रमिकों की संख्या 20 या उससे अधिक है।
18. कार्य संविदा/वैट की कटौती स्रोत पर सरकार के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। उद्धृत दर में ऐसे सभी कर और शुल्क शामिल होंगे।
19. ठेकेदार के पास उक्त कार्य के लिए उनके द्वारा लगाए जा रहे श्रमिकों के पते और तस्वीरें होंगी। बैंक के केयरटेकर द्वारा जारी फोटो पास दिखाने पर ही भवन के अंदर श्रमिकों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
20. दरों को उद्धृत करने से पहले, ठेकेदार को कार्यस्थल का निरीक्षण करना चाहिए और अपने लिए कार्य की प्रकृति और दायरे को समझना चाहिए।
21. बैंक की किसी भी संपदा को होने वाले किसी भी नुकसान को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर ठीक किया जाएगा।
22. ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के विनिर्देश विवरण और निर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्य करेगा।
23. ठेकेदार कार्यस्थल पर अपनी सामग्री के भंडारण के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा।
24. ठेकेदार बैंक को सभी दावों, यदि कोई हो, के प्रति क्षतिपूर्ति देगा।
25. ठेकेदार केवल एमएस 'एच' फ्रेम मचान का उपयोग करेगा।
26. ठेकेदार केंद्रीय श्रम आयुक्त की दरों के अनुसार उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा और वेतन पर्ची पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। ऐसी वेतन पर्ची की एक प्रति बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।
27. सफल ठेकेदार पहचान के उद्देश्य से कार्यस्थल पर लगे अपने श्रमिक को एक उचित वर्दी प्रदान करेगा।
28. सफल ठेकेदार निष्पादन के दौरान कार्यस्थल पर एक योग्य इंजीनियर को तैनात करेगा जो समय-समय पर बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए आवश्यक निर्देशों का पालन करेगा, जिसमें दिन-प्रतिदिन की खपत के रिकॉर्ड को बनाए रखने सहित कार्यस्थल पर लाए गए रसायनों और सीमेंट का उचित रिकॉर्ड रखना शामिल है।
29. संविदा के संबंध में लागू श्रम उपकर सहित सभी कर, लेवी और उपकर ठेकेदार द्वारा देय होंगे और बैंक इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।

स्थान:

दिनांक:

मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

खंड एफ : सुरक्षा कोड

1. स्टेरलाइज़ ड्रेसिंग और कटिन की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को सबकी पहुंच वाले सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
2. एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी रखने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को किनारे के 1.5 मीटर के भीतर नहीं रखा जाएगा, खाई की गहराई के आधे हिस्से में, जो भी अधिक हो। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
6. किसी भवन के तल पर या कार्य वाले स्थान पर खुली स्थान को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त फेसिंग प्रदान किए जाएं जिनकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।
7. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य भाग मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को मजबूत जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की मजबूत आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. (i) रेडीमेड पेंट के पेस्ट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
(ii) जब पेंट को स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़ और स्क्रैप किया जाता है, श्रमिकों द्वारा उपयोग हेतु उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए
11. ठेकेदार द्वारा पेंट करने वालों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और पेंटिंग का कार्य करने वालों कार्य बंद होने की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

12. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्थापन मशीनें और टैकल, जिसमें उनके संलग्नक, ऐंकरेज और समर्थन शामिल हैं, सही स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को कम करने या निलंबन के फेसिंग के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ कब्जा और गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।
14. प्राधिकरण/अधिकारियों की सूचना के अनुसार कार्य स्थल पर स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।

विद्युत सुरक्षा

1. कार्यस्थल पर विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए सभी अस्थायी विद्युत शक्ति जैसे कि कटिंग/ड्रिलिंग मशीन उचित रूप से रेटेड अभिप्राय लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ईएलसीबी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
3. उपयोग किए जाने वाले विद्युत बिजली केबलों/तारों को ठीक से रेट किया जाना चाहिए और जोड़ों से बचना चाहिए। यदि जोड़ हो तो अच्छे से जुड़ा होना चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अभिप्राय किया जाएगा।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा।
6. आग से निपटने के लिए उपयुक्त अग्निशामक यंत्रों के अलावा, आग बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए तत्काल उपयोग के लिए तैयार आग की बाल्टी को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और सुविधाजनक स्थान पर कार्यस्थल पर रखा जाएगा।
7. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग, आदि, जो कार्य की आवश्यकता के आधार पर लागू होते हैं, का उपयोग श्रमिकों द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए किया जाएगा।
8. जमीनी स्तर से 10 फीट से अधिक ऊंचाई से कार्य करते समय श्रमिकों द्वारा सुरक्षा बेल्ट पर मुकदमा दायर किया जाएगा।
9. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
10. उपकरण उपयोग में न होने पर मुख्य से बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
11. कार्य से उत्पन्न लकड़ी की छीलन, आरी-धूल या किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
12. कार्य स्थल को कार्य के दौरान पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।
13. सभी विद्युत कार्य लाइसेंसधारी/अधिकृत इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन द्वारा किए जाने चाहिए।
14. रोशनी के लिए अस्थायी तार बिछाने से बचने के लिए कार्य स्थल पर पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली रोशनी का उपयोग किया जा सकता है।

15. कार्य स्थल पर विशिष्ट स्थानों पर अच्छी गुणवत्ता के आवश्यक बैरिकेडिंग और साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे।
16. एल्यूमीनियम / स्टील की सीढ़ी में आधार पर उचित रबर इन्सुलेशन होना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, इन सीढ़ियों को विद्युत इन्सुलेट सुरक्षित रबर मैट पर रखा जाना चाहिए।

स्थान:

दिनांक: मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अग्रि सुरक्षा

- i. कार्यस्थल पर उपयोग की जाने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही रेटिंग वाले विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
- ii. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
- iii. उपयोग किए जाने वाले विद्युत बिजली केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें ठीक से रेट किया जाना चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थेड किया जाएगा।
- v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा कार्यस्थल निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।
- vi. कार्यस्थल पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
- vii. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशमक यंत्रों को कार्यस्थल पर रखा जाएगा।
- viii. प्रयुक्त पेंट इम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
- ix. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि कार्य की आवश्यकता के आधार पर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।
- x. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 'से अधिक ऊँचाई से कार्य करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- xii. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्य रूप से बंद रखे जाएंगे।
- xiii. किसी भी अग्निशमक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xiv. उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मुख्य से बंद कर दी जाएगी।
- xv. कार्य से उत्पन्न लकड़ी-छीलन और आरी-धूल को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
- xvi. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
- xvii. कार्यालय समय से परे कार्य करते समय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को बैटरी संचालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमने निविदा के सुरक्षा कोड को पढ़ और समझ लिया है और यदि निविदा मुझे/हमें प्रदान की जाती है, तो हम इसका पूरी तरह से पालन करेंगे।

स्थान:

दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

खंड जी
संविदा की शर्तें - वाणिज्यिक

यहां पहले जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है,

1.1 व्याख्या खंड

1.1.1

इन शर्तों को लागू करने में, विनिर्देशों, मात्रा अनुसूची, संविदा करार, जो उन्हें सौंपा गया है, इसके कि जहां संदर्भ का विषय अन्यथा आवश्यक हो, को छोड़कर निम्नलिखित शब्दों का अभिप्राय यह है कि

- (a) "बैंक" का अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर होगा और इसमें इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
- (b) "ठेकेदार" (i) साझेदारी के मामले में इसका अभिप्राय होगा _____ और _____ साझेदारों के रूप में व्यापार करेंगे जिसका नाम और शैली _____ और व्यवसाय का स्थान होगा _____ और उस समय के साझेदारों को शामिल करेंगे और उक्त फर्म का होने के नाते और मृत साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि (ii) में व्यक्ति के मामले का अभिप्राय श्री _____ के नाम और शैली में व्यापार और उसके उत्तराधिकारियों, उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करेगा (iii)के मामले में कंपनी का मतलब _____ कंपनी के तहत निगमित होगा 20_____ और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे।
- (c) "कार्यस्थल" का अभिप्राय संविदा कार्यों की कार्यस्थल से होगा जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और कोई अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जिसे ठेकेदार को कार्य करने के लिए बैंक द्वारा आवंटित किया गया है।
- (d) "इस संविदा" का अभिप्राय करार के शर्तें, विशेष शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं अनुसूची, विनिर्देश और ड्राइंग्स आदि होंगे, जो इसके साथ संलग्न हैं और विधिवत हस्ताक्षरित हैं।
- (e) "आर्किटेक्ट" का अभिप्राय महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, संपदा विभाग होगा।

(f) **बैंक का इंजीनियर:** "बैंक के इंजीनियर" शब्द का अभिप्राय होगा वह व्यक्ति जिसे बैंक द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। न ही

बैंक के इंजीनियर या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री के बिना अनुमोदन के ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को नोटिस देने का अधिकारी होगा और इस तरह के कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।

(g) समय-समय पर बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि द्वारा कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन इस तरह की जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी प्रकार से किसी भी खराबी को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाई जा सकती है। इस खंड की सीमा के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से निर्देश लेगा।

(h) "लिखित रूप में सूचना" या लिखित सूचना का अभिप्राय होगा पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजे गए लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित वर्ण (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित नहीं किया गया हो या अन्यथा प्राप्त नहीं किया गया है) और इसे प्राप्त होने के लिए माना जाएगा जब डाक के सामान्य पाठ्यसही इसे वितरित किया गया होगा।

i. "दिवालिया अधिनियम" का अभिप्राय होगा दिवालियापन का कोई भी कार्य जैसा कि प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है।

j. "निवल मूल्य" यदि संविदा राशि में ठेकेदार ने इसमें जोड़ा होगा या कटौती की होगी निविदा में मदों का कुल योग या तो प्रतिशत के रूप में या अन्यथा निविदा में किसी भी वस्तु की निवल कीमतों की तुलना में, उस वस्तु की कीमत के रूप में निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़े से एक समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि को जोड़कर या घटाकर प्राप्त की गई राशि होगी, जो हमेशा प्रदान की जाती है कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी गई या काटी गई राशि के अनुपात के प्रतिशत का निर्धारण करने में किसी भी प्राइम कॉस्ट मदों की कुल राशि और अनंतिम राशि निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। अभिव्यक्ति "निवल दरें" या "निवल मूल्य" जब संविदा या लेखों के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो इसका मतलब दरों या कीमतों पर लगाया जाएगा।

k. "कार्य" का अभिप्राय "बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा" होगा।

- I. व्यक्तियों को प्रदान करने वाले शब्दों में फर्म और निगम शामिल हैं। केवल एकवचन प्रदान करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल है, जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है।

1.2 संविदा का दायरा

1.2.1 ठेकेदार इस संविदा के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के ड्राइंग्स और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

- a. डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की मात्रा में भिन्नता या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या लोप या प्रतिस्थापन।
- b. ड्राइंग में या मात्रा-अनुसूची और/या ड्राइंग्स और/या विनिर्देश के बीच कोई विसंगति।
- c. ठेकेदार द्वारा लाई गई किसी भी सामग्री को कार्यस्थल से हटाना और उसके लिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन करना।
- d. ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादन।
- e. उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।
- f. किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए खुलने को कवर किया गया।
- g. इसके खंड 1.19 के तहत किसी भी दोष का संशोधन और सुधार करना।

1.2.2 ठेकेदार ऐसे बैंक के इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का पालन करेगा और उन्हें विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक के इंजीनियर द्वारा कार्य पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा आगे सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति व्यक्त नहीं की जाती है, ऐसे संविदा के दायरे में बैंक के इंजीनियर के निर्देश माने जाएंगे।

1.3 बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन।

1.3.1 इसके बावजूद इसमें जो कुछ भी निहित है, बैंक का इंजीनियर या उसका प्रतिनिधि, बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना मौखिक या लिखित रूप में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को ठेकेदार को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा और ठेकेदार को जारी किए गए सभी निर्देशों को तुरंत बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ठेकेदार दरों, वाउचरों आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों को देते हुए भिन्नता का विवरण प्रस्तुत करेगा। बैंक द्वारा संवीक्षा और अंतिम स्वीकृति पर दरें एक पूरक करार बनाएंगी। बैंक इस तरह के अंतर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

1.4 ड्राइंग्स, मात्रा-अनुसूची और करार

1.4.1 संविदा को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक-एक निष्पादित प्रति के हकदार होंगे। इसके हस्ताक्षर पर ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर द्वारा निः शुल्क, उक्त ड्राइंग्स और विनिर्देशों की एक-एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ठेकेदार द्वारा आवश्यक इस तरह की ड्राइंग्स की किसी भी और प्रतियों का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार कार्यों पर सभी ड्राइंग्स की एक प्रति रखेगा और बैंक के इंजीनियर, या उसके प्रतिनिधि के पास हर उचित समय पर उस तक पहुंच होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वह तुरंत बैंक को सभी ड्राइंग्स और विनिर्देश वापस कर देगा।

1.5 ठेकेदार को अपनी लागत पर आवश्यक सभी वस्तुएं प्रदान करना

1.5.1 ठेकेदार अपनी लागत पर ड्राइंग, मात्रा-अनुसूची और विनिर्देशों, चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, के अनुसार कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं प्रदान करेगा, बशर्ते कि इससे यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्रा-अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप में इसे बैंक के इंजीनियर को सूचित करेगा जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है।

1.6 प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट

1.6.1 ठेकेदार कार्यों से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करेगा और किसी भी प्राधिकरण के नियमों और उपनियमों के लिए, और किसी भी पानी, बिजली की आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के जिनके साथ संरचना को जोड़ने का प्रस्ताव है, और ड्राइंग या विनिर्देशों से कोई भी बदलाव करने से पहले जो इस तरह के अनुरूप हो सकते हैं।

बैंक के इंजीनियर को लिखित नोटिस दें, जिसमें प्रस्तावित बदलाव और इसे बनाने का कारण निर्दिष्ट करें और उस पर निर्देशों लागू के लिए आवेदन करें। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह लागू प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी बदलाव से समाधान किया जाएगा।

1.6.2 ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के ध्यान में उक्त अधिनियमों, विनियमों या उपनियमों द्वारा अपेक्षित सभी नोटिसों को किसी भी प्राधिकरण को देगा और ऐसे प्राधिकारी को या किसी सार्वजनिक कार्यालय को सभी शुल्क का भुगतान करेगा जो कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य हो सकता है और बैंक के इंजीनियर के पास रसीदें दर्ज करेगा।

1.6.3 ठेकेदार पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के प्रति बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हर्जाना लागत और सभी और हर प्रकार के शुल्क का भुगतान करेगा जो इसके संबंध में कानूनी रूप से किए जा सकते हैं।

1.7 कार्य सेट आउट करना

1.7.1 ठेकेदार कार्यों को सेट आउट करेगा और उसे सही सेटिंग के लिए और उसके सभी हिस्सों की स्थिति, स्तर, आयाम और सरेखण की निवलता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी समय, इस संबंध में कोई त्रुटि कार्यों की प्रगति के दौरान या कार्यों के पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिखाई देगी, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो अपने खर्च पर बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारेगा।

1.8 विवरण के अनुरूप सामग्री और कार्यकुशलता

1.8.1 सभी सामग्री और कार्यकुशलता, जहां तक खरीद पात्र हो, मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की होंगी और बैंक के इंजीनियरों के निर्देशों के अनुसार और ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसे सभी चालान, लेखे, रसीद और अन्य वातचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री इसका अनुपालन करती है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या किसी भी परीक्षण को करेगा जिसकी बैंक के इंजीनियर को आवश्यकता हो सकती है।

1.9 ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि

1.9.1 ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद तक सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षक देगा जब तक कि बैंक का इंजीनियर परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष देयता अवधि" की समाप्ति तक आवश्यक समझे। ठेकेदार भी पूरे समय के दौरान कार्य प्रगति पर रहेगा, एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो कार्य पर रहने के दौरान कार्य पर लगातार उपस्थिति में रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाना माना जाएगा।

1.10 श्रमिकों की बर्खास्तगी

1.10.1 ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्यों से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में अक्षम हो सकता है या स्वयं कदाचार कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

1.11 कार्यों तक पहुंच

बैंक और उनके प्रतिनिधियों को हर उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक पहुंच होगी जहां सामग्री पड़ी है या जहां से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है और ठेकेदार बैंक और उनके प्रतिनिधि को सामग्री और कार्यकुशलता के निरीक्षण और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा देगा। सामग्री का पूर्व-प्रेषण निरीक्षण बैंक के तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.12 असाइनमेंट और सब-लेटिंग

1.12.1 संविदा में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भी हिस्से/शेयर या उसमें किसी भी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, और कोई भी अंडरटेकिंग ठेकेदार को संविदा की पूर्ण और पूरी जिम्मेदारी से या उनकी प्रगति के दौरान कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगा।

1.12.2 कोई परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस संविदा को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय उचित समझता है, तो कार्यों में कोई परिवर्तन, या परिवर्धन, या कार्यों से चूक या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना और ठेकेदार को अपने हाथ के तहत लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलेगा, जोड़ेगा या छोड़ देगा, लेकिन ठेकेदार बैंक के इंजीनियर की लिखित सहमति और ऐसे अतिरिक्त के मूल्य के बिना संविदा, शर्त, विनिर्देश या संविदा आरेखण के किसी भी प्रावधान से कार्यों में परिवर्तन या परिवर्धन या चूक करने के लिए अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा। परिवर्तन, परिवर्धन, या चूक सभी मामलों में बैंक के इंजीनियरों द्वारा लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ निर्धारित की जाएगी और इसे संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

1.13 मात्रा-अनुसूची

1.13.1 मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी। कार्य की मापने योग्य वस्तुओं के लिए माप का तरीका धारा के तहत उप-खंड "माप का तरीका" में दर्शाया गया है।

1.13.2 मात्रा-अनुसूची से विवरण या मात्रा में या वस्तुओं की चूक में कोई भी त्रुटि इस संविदा को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और उसके मूल्य को संविदा राशि (जैसा भी मामला हो) में जोड़ा या काट लिया जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि कोई हो।

1.14 मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

1.14.1 ठेकेदार को निविदा देने से पहले खुद को संतुष्ट माना जाएगा कि वह कार्यों के लिए अपनी निविदा की निवलता और पर्याप्तता तथा मात्रा-अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में है, जो दरें और कीमतें संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल करेंगी।

1.15 कार्यों का मापन

1.15.1 बैंक का इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है और ठेकेदार इस तरह के माप और गणना करने में बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट को तुरंत उपस्थित करेगा या भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के लिए आवश्यक सभी सहायता देगा।

1.15.2 यदि ठेकेदार ऐसे एजेंट को भेजने के लिए उपस्थित नहीं होता है या उपेक्षा नहीं करता है या छोड़ता है तो बैंक के इंजीनियर, या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिए गए माप को कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

1.15.3 ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है।

1.15.4 बैंक के इंजीनियर्स की जानकारी के बिना सभी प्राधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक, और सभी विविधताएं यदि बाद में उनके द्वारा लिखित रूप में मंजूर किया जाता है (बैंक को लिखित में पूर्व अनुमोदन से), माप में शामिल होंगे।

कार्यों के माप लेने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

माप को ठेकेदार द्वारा पहली बार अनुलग्नक X के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में दर्ज और दर्ज किया जाएगा, और एक हार्ड कॉपी विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। सभी प्रविष्टियां पारंपरिक एमबी रिकॉर्ड करने के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

इन मापों को जूनियर इंजीनियर/एएम (टेक) द्वारा 100% जांचा जाएगा यदि जूनियर इंजीनियर/एएम (टेक) उपलब्ध नहीं है, तो एएम (टेक) / एमजीआर (टेक) माप की 100% जांच करेगा। ठेकेदार ऐसे सभी परिवर्तनों या सुधारों को शामिल करेगा, जैसा कि इन जांचों के दौरान किया जा सकता है, अपने मसौदे कम्प्यूटरीकृत मापों में और विभाग को प्रस्तुत करेगा, एक पुस्तक के रूप में सही कम्प्यूटरीकृत माप, अपनी पेज मशीन के साथ विधिवत हार्ड बाउंड है। इस कम्प्यूटरीकृत एमबी के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ पूर्ण हस्ताक्षर होंगे।

इन कम्प्यूटरीकृत मापों की परीक्षण जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा मौजूदा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इस पुस्तक को कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक के रूप में माना जाएगा।

ठेकेदार द्वारा दिए गए कम्प्यूटरीकृत एमबी, विधिवत बंधे हुए, इसके पृष्ठों को मशीन से क्रमांकित किया गया है, इसमें कोई कटिंग या ओवर-राइटिंग नहीं होगी। किसी भी त्रुटि के मामले में, कम्प्यूटरीकृत एमबी रद्द कर दिया जाएगा, और ठेकेदार सभी सुधारों को शामिल करते हुए एक नया कम्प्यूटरीकृत एमबी फिर से जमा करेगा। यह भुगतान के लिए विभाग को संबंधित बिल प्रस्तुत करने से पहले किया जाना चाहिए।

संबंधित अधिकारी कम्प्यूटरीकृत एमबी में मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अपनी जांच और परीक्षण जांच के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करेंगे। यह संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी सुधारों को कम्प्यूटरीकृत एमबी में शामिल किया गया है।

कम्प्यूटरीकृत एमबी को बैंक द्वारा ठेकेदार को दिए जाने वाले कम्प्यूटरीकृत एमबी के रजिस्टर के अनुसार एक सीरियल नंबर आवंटित किया जाएगा।

अंतिम रूप से कम्प्यूटरीकृत एमबी के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी की तारीख के साथ नाम और पदनाम के साथ पूर्ण हस्ताक्षर होंगे। बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिए गए माप को कार्य का सही माप माना जाएगा। सभी माप विनिर्देशों में माप के तरीके के विवरण के अनुसार लिए जाएंगे।

1.16 अतिरिक्त वस्तुओं आदि के लिए मूल्य – सुनिश्चित करना

1.16.1 ठेकेदार, जब अधिकृत किया जाता है, और जब बैंक के इंजीनियर द्वारा बैंक के अनुमोदन से लिखित रूप में निर्देशित किया जाता है, तो वह ड्राइंग में उल्लेख किए गए कार्यों को जोड़ेगा, छोड़ देगा, या उसमें बदलाव करेगा, या विनिर्देश में वर्णित है, या मात्रा-अनुसूची में शामिल है, लेकिन ठेकेदार इस तरह के प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई परिवर्धन, चूक या भिन्नता नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा एक मौखिक अधिकार या निदेश, यदि उसके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

1.16.2 किसी अतिरिक्त मद के लिए किसी भी दावे की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे खंड 1.2.2 के प्रावधानों के तहत या बैंक के इंजीनियर के अधिकार द्वारा बैंक की सहमति से निष्पादित नहीं किया गया हो, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया गया है और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा।

- a. मूल निविदा की निवल दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन करेगी जहां ऐसा है अतिरिक्त कार्य समान स्वरूप का है और निष्पादित किया गया है कार्य के समान परिस्थितियों में उसमें कीमत।
- b. सभी वस्तुओं के लिए दरें, कहीं भी संभव हो मात्रा की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों में से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- c. मूल निविदा की निवल कीमतें छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है, तो उसके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) और (डी) के तहत किया जाएगा।
- d. जहां अतिरिक्त कार्य समान स्वरूप के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान परिस्थितियों में निष्पादित किए जाते हैं या जहां चूक अलग-अलग होती है, उन शर्तों के तहत जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती

है या यदि पूरे संविदा कार्यों या उसके किसी भी हिस्से की राशि के सापेक्ष किसी चूक या परिवर्धन की राशि ऐसी होगी कि बैंक के इंजीनियर की राय में निवल दर या कीमत मात्रा या निविदा की मूल्य अनुसूची में निहित या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किए गए नुकसान या व्यय से परे नुकसान या व्यय शामिल है या इस तरह की चूक या अतिरिक्त के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो गया है, बैंक का इंजीनियर ऐसी अन्य कीमत तय करेगा जो परिस्थितियों में बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, वह उचित और उचित समझेगा,

जहां अतिरिक्त कार्य को ठीक से मापा या मूल्यवान नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को निविदा या मात्रा की मूल्य अनुसूची में बताई गई निवल दरों के रूप में दिन के कार्य की कीमतों की अनुमति दी जाएगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दिन की कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार; बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय (और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक हो, तो श्रमिकों के नाम) और नियोजित सामग्री को बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को सत्यापन के लिए सप्ताह के अंत में या उससे पहले वितरित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्य निष्पादित किया गया है।

1.16.3 मात्रा में भिन्नता के लिए अतिरिक्त वस्तु: - ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा सख्ती से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग कार्य की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है, इस प्रकार संविदा के कुल मूल्य को बदला जा सकता है। तथापि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान यदि कार्य की किसी भी वस्तु की मात्रा निविदा मात्रा के 25% से अधिक हो जाती है, तो बैंक के अभियंता के प्राधिकार द्वारा निष्पादित ऐसी मदों की मात्रा, निविदा मात्रा के 25% से अधिक को कार्य की एक अतिरिक्त मद के रूप में माना जाएगा जिसके लिए ठेकेदार वास्तविक लागत के आधार पर कार्य किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित नई दरें प्रस्तुत करेंगे और 15% से अधिक स्थापना शुल्क की ओर, ठेकेदार के सिर और लाभ पर। कार्य की ऐसी सभी मदों के लिए दरें, वर्तमान होने के कारण, सामग्री की कीमतों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी और निविदा में दिए गए मूल्य वृद्धि सूत्र के अनुसार श्रम दरें होंगी। यदि बैंक के विवेकाधिकार पर स्वीकृत निविदा से कार्य की किसी भी वस्तु को हटा दिया जाता है, तो ठेकेदार इस खाते पर किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

1.16.4 संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताए गए "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं कहा गया है, तो संविदा कार्यों के पूरा होने के एक माह के भीतर जैसा कि खंड 1.20 में परिभाषित किया गया है।

1.17 अनफिक्स सामग्री जब बैंक की संपत्ति मानी जाएगी

1.17.1 जहां किसी भी प्रमाण पत्र में (जिसमें से ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अनिर्धारित सामग्री के मूल्य को शामिल किया है और/या कार्यों पर या उससे सटे हुए किसी भी अनिश्चित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री बैंक की संपदा बन जाएगी और उन्हें बैंक के इंजीनियर के

लिखित अधिकार के बिना, कार्यों पर उपयोग के अलावा नहीं हटाया जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्रियों के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

1.18 असंगत कार्यों को हटाना

1.18.1 बैंक के इंजीनियर, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री के जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन और सामग्री या कार्यकुशलता के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुनः निष्पादन जो चित्र और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है; और ठेकेदार अपने खर्च पर इस तरह के आदेश को तुरंत पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी; और बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आकस्मिक, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या बैंक द्वारा किसी भी देय राशि से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार को देय हो सकती है।

1.19 वर्चअल कंप्लीशन के बाद दोष

1.19.1 कोई भी दोष, संकोचन, निपटान या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष देयता अवधि" के भीतर प्रकट हो सकता है या, यदि कोई नहीं कहा गया है, तो सामग्री से बैंक के इंजीनियर की राय में उत्पन्न होने वाले कार्य के पूरा होने की तारीख से बारह माह के भीतर या कार्यकुशलता जो संविदा के अनुसार नहीं है, बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर और ऐसे उचित समय के भीतर जो उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक के मामले में बैंक अन्य व्यक्तियों को ऐसे दोषों को संशोधित करने और सुधारने के लिए भुगतान कर सकता है, संकोचन, निपटान या अन्य दोष, और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय को ठेकेदार द्वारा ठीक और वहन किया जाएगा और इस तरह के नुकसान, हानि और व्यय बैंक द्वारा उससे वसूल किए जाएंगे या बैंक द्वारा किसी भी देय राशि से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार के कारण हो सकती है, या बैंक ठेकेदार द्वारा इस तरह के संशोधन और ठीक बनाने के बदले में, ठेकेदार के कारण किसी भी राशि से एक राशि काट सकता है, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाना है, जो इस तरह के कार्य में संशोधन की लागत के बराबर है और खंड 1.28 के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि की वसूली कर सकता है, इसके संबंध में बैंक द्वारा किए गए किसी भी खर्च के साथ। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या कार्यों पर नियोजित किसी भी उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री है, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, जैसा कि खंड 1.11 और 1.12 में प्रदान किया गया है, ठेकेदार उसी तरीके से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि इस तरह के कार्य या सामग्री को इस ठेकेदार द्वारा किया गया था या आपूर्ति की गई थी और इसके खंड 1.2 के प्रावधानों के अधीन किया गया था। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते के पारित होने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

1.20 बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

1.20.1 बैंक के इंजीनियर, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री के जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन और सामग्री या कार्यकुशलता के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुनः निष्पादन जो चित्र और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं हैं; और ठेकेदार अपने खर्च पर इस तरह के आदेश को तुरंत पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी; और बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आकस्मिक, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या बैंक द्वारा किसी भी देय राशि से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार को देय हो सकती है।

1.21 व्यक्ति और संपदा को नुकसान के संबंध में बीमा

1.21.1 ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए जिम्मेदार होगा, और संपदा को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो भी किसी भी तरह से इस संविदा को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड को अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को कोई भी नुकसान, चाहे वह तत्काल आसन्न हो या अन्यथा और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या रास्ते को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूल स्थिति से इस संविदा का विषय बनाने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे उपरोक्त के रूप में व्यक्तियों या संपदा को किसी भी ऐसी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित ठहराएगा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में भी।

1.21.2 ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी प्रकार के नुकसान को बहाल करेगा, ताकि पूरे संविदा कार्यों को पूर्ण और पूर्ण रूप से वितरित किया जा सके

हर सम्मान और इसलिए तीसरे पक्ष की संपदा को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी दावों को ठीक या अन्यथा पूरा करने के लिए।

1.21.3 ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों के प्रति क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा बैंक के प्रति किए जा सकते हैं, जो किसी भी चीज के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और अपने स्वयं के खर्च पर संविदा के आभासी समापन तक और एक अनुमोदित कार्यालय के साथ संयुक्त में बीमा की एक पॉलिसी के साथ दो माह तक प्रभावी और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा ऐसे जोखिमों के प्रति बैंक और ठेकेदार के नाम और इस संविदा की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के इंजीनियर के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी प्रस्तुत करना। ठेकेदार इसी तरह बैंक को उन सभी दावों के प्रति क्षतिपूर्ति भी करेगा जो बैंक पर किए जा सकते हैं, चाहे वह श्रमिक मुआवजा अधिनियम या इस संविदा की मुद्रा के दौरान लागू किसी अन्य कानून के तहत या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में

हो और अपने स्वयं के खर्च पर प्रभाव और रखरखाव करेगा, संविदा के आभासी समापन तक, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक नीति ऐसे जोखिमों के प्रति और संविदा की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाह या दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपदा को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, प्रभार, या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी हेतु या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

1.21.4 ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाह या दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपदा को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, प्रभार, या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी हेतु या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

1. (सी.ए.आर. पॉलिसी) के लिए संविदा की कुल राशि
2. श्रमिक मुआवजा नीति।
3. निम्नानुसार सीमाओं के साथ तृतीय पक्ष देयता नीति
 - (a) किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपदा के नुकसान के संबंध में 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है।
 - (b) किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये।

1.22 प्रारंभ और समापन की तिथि

1.22.1 ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तारीख" पर कार्यस्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, या ऐसी बाद की तारीख जो बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है और वह उसके बाद और तुरंत कार्य शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (ऐसे पेंट या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर जैसा कि बैंक का इंजीनियर देरी करना चाहता है) में बताए गए "पूरा होने की तारीख" पर या उससे पहले (ख) इसके बाद समय बढ़ाने के उपबंधों के अध्यधीन परिशिष्ट में यह प्रावधान किया गया है।

1.23 कार्य पूरा न होने पर नुकसान (कार्य में देरी के लिए लिकिडिटी क्षति/दंड)

यदि ठेकेदार संविदा में निर्धारित पूरा होने के समय तक या समय विस्तार खंड के तहत किसी भी विस्तारित समय (निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश के तहत) के भीतर कार्यों की आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में इसे यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को "परिसमापन क्षति" के रूप में नामित राशि का भुगतान करेगा

। "उस अवधि के लिए जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है। ऐसी रोकी गई राशि पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार इसके द्वारा विशेष रूप से सहमत होता है और नियोक्ता को इस तरह के परिसमापन नुकसान, यदि कोई हो, को इस संविदा के संदर्भ में ठेकेदार को देय और देय होने वाली किसी भी किस्त से या प्रतिधारण राशि से काटने के लिए अधिकृत करता है।

कार्य में देरी के लिए दंडः

यदि ठेकेदार निर्दिष्ट पूर्णता अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह निर्धारित अवधि से परे विलंब के प्रति सप्ताह और उसके बाद विलंबित अवधि के समानुपातिक अवधि के लिए संविदा राशि के 0.25% की दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो संविदा राशि के अधिकतम 10% के अधीन लगाया जाएगा।

1.24 देरी और समय विस्तार

1.24.1 यदि बैंक की राय में, कार्यों में देरी हो रही है (ए) अप्रत्याशित घटना द्वारा या (बी) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (सी) निकटवर्ती या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण अन्यथा उत्पन्न होने वाले ठेकेदार के स्वयं के डिफ़ॉल्ट के माध्यम से या

(घ) बैंक द्वारा लगे या नामित अन्य ठेकेदारों या व्यापारियों के कार्यों या देरी से और मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं किया गया है या (ई) इसके खंड 1.2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के कारण या (च) सिविल हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय हंगामा या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (छ) ठेकेदार को देय रूप से प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप बैंक के इंजीनियर से समय आवश्यक निर्देश जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में या (ज) अन्य कारणों से आवेदन किया होगा, जिसे बैंक का इंजीनियर ठेकेदार के नियंत्रण से परे के रूप में प्रमाणित कर सकता है या (इ) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक का इंजीनियर बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ संविदा कार्यों को पूरा करने का समय; इस तरह की हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार को जल्द से जल्द बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना दी जाएगी, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रयास का उपयोग करेगा और कार्य के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए उचित रूप से आवश्यक सभी कार्य करेगा।

1.25 बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन करने में ठेकेदार की विफलता

1.25.1 यदि ठेकेदार बैंक से लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद दस दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता है, ऐसे आगे की ड्राइंग्स और/या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है जो उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें बैंक के इंजीनियर के

प्रमाण पत्र पर बैंक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जाएंगी एक ऋण या ठेकेदार के कारण किसी भी पैसे से उसके द्वारा काटा जा सकता है।

1.26 बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति

1.26.1 यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या एक दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके प्रति अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से या न्यायालय और अधिकारी की देखरेख के अधीन समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा।

समनुदेशिती या परिसमापक दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता के नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर, बैंक के इंजीनियर की उचित संतुष्टि को दिखाने के लिए कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और उसके लिए प्रतिभूति देने के लिए, यदि हाँ, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक है।

या, यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी) ठेकेदार के प्रति जारी की जाने वाली संपदा को निष्पादन या अदालत की कुर्की की अन्य प्रक्रिया से पीड़ित होगा।

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से संलग्न किया जाएगा, या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को असाइन या सबलेट करेगा। या इस संविदा या आपके लिए किसी भी भुगतान, या जो ठेकेदार को तब और वहाँ देय हो सकता है, चार्ज या भार देगा,

या यदि बैंक का इंजीनियर बैंक को लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार:

- i) संविदा को छोड़ दिया है, या
- ii) कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के बैंक के इंजीनियर नोटिस से आगे बढ़ने के लिए चौदह दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
- iii) (ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
- iv) बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद सात दिनों तक कार्यस्थल से सामग्री को हटाने या कार्य को नीचे खींचने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्यों की इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा की गई थी और अस्वीकार कर दी गई थी, या सभी या किसी भी कार्य का पालन करने और करने के लिए लगातार उपेक्षा या विफल रहा है, इस संविदा द्वारा मामलों या चीजों को ठेकेदार द्वारा लिखित नोटिस के बाद सात दिनों के लिए देखा और निष्पादित किया जाना चाहिए, ठेकेदार को ठेकेदार को इसका निरीक्षण करने या करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, संविदा का निर्धारण कर सकता है, लेकिन इस तरह बैंक के इंजीनियर की शक्तियों या ठेकेदार के दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित किए बिना, जिनमें से पूरी तरह से लागू रहेगी जैसे कि संविदा इतना निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित किए गए कार्यों को ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था। और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचान, छाया, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के उपकरणों और सामग्री को आस-पास की भूमि या सड़कों के परिसर में रखने और अपने कब्जे में ले सकता है, और अपनी संपदा के रूप में इसका उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के नौकरों और श्रमिकों के माध्यम से कार्यों को पूरा करने और पूरा करने में या किसी अन्य को नियोजित करके नियोजित कर सकता है ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पूरा करने और परिष्करण करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए किसी भी तरह से कोई कार्य, मामला या कार्य नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सके, बैंक का इंजीनियर ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली गई निवल राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दें। इसके बाद बैंक का इंजीनियर अपने हाथ से यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र के मूल्य और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा की गई सामग्री के लिए बैंक को क्या (यदि कुछ भी) देय या देय होगा और बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले कार्यों की खरीद में बैंक को कितना खर्च या नुकसान होगा, और राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार और राशि के कारण जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक के इंजीनियर का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

1.27 ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति

1.27.1 यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत बैंक द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया होगा और ठेकेदार द्वारा बैंक को पूर्वोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों तक भुगतान नहीं किया जाएगा, या यदि बैंक ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र के जारी करने में हस्तक्षेप करता है या बाधित करता है, या यदि बैंक संविदा को अस्वीकार कर देगा, या यदि बैंक के इंजीनियर या बैंक के आदेश के तहत या किसी भी कानून के न्यायालय के किसी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा तीन माह के लिए कार्य बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, बैंक के इंजीनियर के माध्यम से, और वह बैंक से वसूली करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीद या संविदा के उद्देश्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

1.27.2 इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित निवल दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन किया जाएगा।

1.28 प्रमाणपत्र और भुगतान

1.28.1a. ठेकेदार को बैंक द्वारा समय-समय पर अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किश्तों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के कारण जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किश्तों द्वारा किया जाएगा, जब बैंक के इंजीनियर की राय में अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य के मूल्य के रूप में परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए अंतरिम प्रमाणपत्रों (या बैंक के इंजीनियर के उचित विवेक पर) के अनुसार निष्पादित किया गया है। संविदा। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाण पत्र अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री जिससे वह संबंधित है, संविदा के अनुसार है, न ही ठेकेदार के पास किसी भी राशि के लिए दावा होगा, जिसे बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो सकता है और बैंक द्वारा भुगतान किया हो सकता है और जिसे बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

1.28.1b. ठेकेदार, निर्दिष्ट प्रपत्र में एक अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने पर, किसी भी सामग्री के मूल्यांकन मूल्य के 75% तक कार्य के निष्पादन की प्रगति के दौरान भुगतान करने का हकदार होगा (मूल्यांकन मूल्य कर भुगतान किए गए वाउचर, विधिवत सत्यापित, या संबंधित आइटम के लिए निविदा दर से प्राप्त सामग्री मूल्य द्वारा समर्थित खरीद मूल्य का न्यूनतम होगा) जो बैंक के इंजीनियर की राय में हैं नष्ट न होने योग्य और मजबूत और ठेके के अनुसार हैं और जिन्हें अनुमोदित प्रगति योजना के अनुसार उसके संबंध में कार्यस्थल पर लाया गया है और मौसम या अन्य कारणों से क्षति के प्रति पर्याप्त रूप से संग्रहीत और/या संरक्षित किया गया है, लेकिन जिन्हें अग्रिम के समय कार्यों में शामिल नहीं किया गया है। जब इस उप-खंड के तहत जिन सामग्रियों के लिए अग्रिम किया गया है, उन्हें कार्य में शामिल किया जाता है, तो इस तरह के अग्रिम की राशि इस संविदा के किसी भी खंड या खंड के तहत किए गए अगले भुगतान से वसूल/कटौती की जाएगी।

प्रभारी अभियंता का निर्णय इस मामले में ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, साधारण कांच, रेत, पेट्रोल, डीजल आदि जैसी उच्च जोखिम वाली सामग्री पर कोई सुरक्षित अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.28.2 बैंक के इंजीनियर को किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके किसी भी हिस्से को उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किया जा रहा है।

1.28.3 बैंक का इंजीनियर किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई सुधार कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया होगा।

1.28.4 यदि ठेकेदार कार्यों को सुनिश्चित करने और कार्य पूरा होने तक उनका बीमा करने में विफल रहता है तो बैंक के इंजीनियर द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

1.28.5 बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर भुगतान परिशिष्ट में नामित अवधि के भीतर "लागू प्रमाण पत्र अवधि" के रूप में बैंक को इस तरह के प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के बाद किया जाएगा।

1.29 विलंबित भुगतान

बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र के अनुसरण में बैंक द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में नामित "प्रमाण पत्र का सम्मान करने की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर ब्याज ले जाएगा, "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में, जिस तारीख को भुगतान किया जाना चाहिए था बैंक द्वारा भुगतान होने तक ऐसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

1.30 बैंक के इंजीनियर द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले

1.30.1 खंड 1.2.1 (ए, बी), 1.5, 1.6, 1.13 और 1.24 (ए, बी, सी, डी और एफ) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र (जो मामले यहां अपवाद मामलों के रूप में संदर्भित हैं) अंतिम और निर्णायक और इसके लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और अपील के बिना होगा। बैंक के इंजीनियर का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन या बैंक के इंजीनियर द्वारा इनमें से कोई भी देने से इनकार करना, खंड 1.31 के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, उसी तरह से सभी मामलों में (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) जैसे कि यह बैंक के इंजीनियर का निर्णय था।

1.31 मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान

1.31.1 किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो भी संविदा के संबंध में या कार्यों को पूरा करने से उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे संविदा के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक के इंजीनियर द्वारा निपटाए गए हैं, जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा।

ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन यदि बैंक या ठेकेदार किसी भी प्रकार के किसी मामले, प्रश्न या विवाद पर बैंक के इंजीनियर के निर्णय से असंतुष्ट हैं (किसी भी अपवाद के मामले को छोड़कर) या बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने के रूप में, जिसके लिए ठेकेदार हकदार होने का दावा कर सकता है, तब और ऐसे किसी भी मामले में, कोई भी पक्ष (बैंक या ठेकेदार) इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर बैंक के इंजीनियर के माध्यम से दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें विवाद के मामलों में मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी जो विवाद या अंतर में हैं जिनमें से इस तरह की लिखित सूचना दी गई है और कोई अन्य नहीं होगा और इसके द्वारा मध्यस्थता और मध्यस्थ के अंतिम निर्णय को संदर्भित किया जाता है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है या, एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के रूप में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक नियुक्त किया जाना है, जो मध्यस्थ करेंगे, या संदर्भ लेने से पहले, एक अंपायर नियुक्त करें।

1.31.2 मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, नोटिस की मांग, पिछले खंड में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में छोड़कर, विवाद में सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए, जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया गया होगा।

1.31.3 मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना हेतु देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ के संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से पार्टियों की सहमति से। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां पारस्परिक रूप से निपटाती हैं, करार करते हैं या मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा कि मामला माना जा सकता है कि रद्द कर दिया गया है और मध्यस्थता की कार्यवाही वापस ले ली जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी, उस तारीख से प्रभावी होगा जिस पर पार्टियां, मध्यस्थ या मध्यस्थों के साथ, जैसा भी मामला हो, उसके निपटान का एक संयुक्त ज्ञापन दाखिल करती हैं।

1.31.4 प्रत्येक या किसी भी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और हेतु की लागत और आकस्मिक क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगी, जैसा भी मामला हो, जो निर्धारित कर सकता है, उसकी राशि, या अटॉर्नी और ग्राहक के बीच या पार्टी और पार्टी के बीच के रूप में कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और निर्देशित करेगा कि किसके द्वारा और किसके लिए और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अभिप्राय के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थता का हेतु, जैसा कि मामला अंतिम होगा और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारणों से कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य के साथ आगे बढ़ेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक, जैसा भी मामला हो, बैंक के इंजीनियर के निर्णय का पालन नहीं करेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई हेतु नहीं देगा, जैसा भी मामला हो सकता है, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त कर देगा। बैंक और ठेकेदार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई करने के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

1.32 अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

1.32.1 बैंक को किसी भी एजेंसी द्वारा कार्यों की तकनीकी जांच करने का अधिकार होगा और अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित ठेकेदार का पूर्ण और अंतिम बिल। यदि इस परीक्षा के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो बैंक के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

1.33 बैंक को श्रमिकों को दिए गए मुआवजे की वसूली करने का अधिकार

1.33.1 यदि, किसी भी कारण से, बैंक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर, या किसी

सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के आधार पर, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो बैंक, ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत बैंक के अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। बैंक ऐसी राशि या उसके किसी हिस्से को सुरक्षा जमा से या बैंक द्वारा इस ठेकेदार के अधीन ठेकेदार को देय किसी भी राशि से अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक उक्त अधिनियम के तहत अपने प्रति किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और बैंक को उन सभी लागतों के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए बैंक इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

1.34 कार्यों का परित्याग

1.34.1 यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, बैंक किसी भी कारण से पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं करेगा, तो बैंक का इंजीनियर ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा जिसके पास कोई नहीं होगा।
मुआवजे के किसी भी भुगतान या अन्यथा किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

1.35 अधिशेष सामग्री की वापसी

1.35.1 इस संविदा के सभी खंडों में से किसी में भी इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री बैंक की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से संविदा के उद्देश्य के लिए रखेगा और बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा, और उन्हें बैंक को वापस कर दें, यदि बैंक द्वारा आवश्यक मूल्य पर बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए कि बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए ऐसे अन्य लेवी सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, बैंक के लिए सभी राशि, लाभ या लाभ के परिणामस्वरूप उत्तरदायी होगा या जो सामान्य रूप से इस तरह के उल्लंघन के कारण उसे हुआ होगा।

1.36 ठेकेदार, यदि व्यक्तिगत हो, की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने का बैंक का अधिकार

1.36.1 इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो बैंक के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

1.37 परीक्षण

1.37.1 बैंक के इंजीनियर द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र/खरीद बिल यदि आवश्यक हो तो प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1.38 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम

- a) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए ठेकेदार/एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के प्रति यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
- b) बैंक के किसी भी कर्मचारी के प्रति ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संशान लिया जाएगा।
- c) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।
- d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- e) ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

1.39 गैर-प्रकटीकरण खंड

संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति पर भी बने रहेंगे।

1.40 कार्यस्थल पर कार्य

1.40.1 ठेकेदार कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा और अपने लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति,

स्वरूप और सीमा का पता लगाएगा और इन निर्देशों के इरादे और उद्देश्य के साथ बनाने के लिए निर्देशों, ड्राइंग्स या मात्रा-अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित या नहीं, सभी वस्तुओं को शामिल करेगा।

1.40.2 कोटेशन प्रस्तुत करने से पहले, ठेकेदार को सूचना दी जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण करे और कार्य के दायरे को पूरी तरह से समझे। किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने के मामले में, ठेकेदार बैंक के इंजीनियर से संपर्क कर सकता है।

1.40.3 ठेकेदार के मजदूर को कार्य के दौरान छोड़कर परिसर के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.40.4 कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति मौजूदा आपूर्ति बिंदु से एक कार्यस्थल पर उपलब्ध से खींची जा सकती है। फ्लूज, तार आदि के साथ आवश्यक स्विच बोर्ड और कार्यस्थल पर बिजली खींचने के लिए आवश्यक अन्य सामान की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जानी होगी।

1.40.5 स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर प्राप्त करनी होगी।

1.40.6 कार्य के लिए संपूर्ण सामग्री को केवल सीढ़ियों के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाया जाएगा और बैंक की लिप्टों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

1.40.7 इच्छुक ठेकेदार सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के कार्यालय से निविदा के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।

1.40.8 ठेकेदार कृपया ध्यान दें कि इस कार्य के लिए शामिल क्षेत्र आवासीय भवन के अंदर है। इसलिए, यह इमारत कब्जे में है। इसलिए, ठेकेदार को कॉलोनी में रहने वाले निवासियों को कोई असुविधा पैदा किए बिना अपना कार्य करना होगा।

1.40.9 कार्य क्षेत्र को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दिन-प्रतिदिन के आधार पर मलबे से साफ करने की आवश्यकता है।

1.40.10 कार्य के स्थल पर या तो ठेकेदार को कार्य की निगरानी के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए या फिर कार्यस्थल पर कार्य की निगरानी के लिए एक योग्य पर्यवेक्षक को तैनात करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। बैंक के इंजीनियर द्वारा पर्यवेक्षक को दिए गए किसी भी निर्देश को ठेकेदार को दिया गया माना जाएगा और उससे इसी तरह के अनुपालन की अपेक्षा की जाएगी।

1.40.11 बैंक/अन्य संपदा (परिसर के अंदर) को हर्दि किसी भी क्षति को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर पूरा किया जाएगा।

1.40.12 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के पास प्रतिभूति संबंधी जांच की सुविधा के लिए कुछ आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हैं। यदि श्रमिकों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, तो उन्हें बैंक भवन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम और पदनाम:

मुहर सहित फर्म का नाम

खंड एच

एक बोलीदाता निम्नलिखित राउंड में बोली लगाने से प्रतिबंध/अपात्रता के लिए उत्तरदायी है:

1. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने अखंडता की संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:

- a) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति करना।
- b) कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या दायित्व से बचा जा सके।
- c) कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।
- d) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए बोली लगाने वाले को खरीद इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।
- e) बोली लगाने वाले और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या संविदा की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन: जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
- f) खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पक्ष या उसकी संपदा को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी दबाव या कोई खतरा।
- g) किसी भी जांच में बाधा या खरीद प्रक्रिया की लेखा परीक्षा।
- h) निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या संविदा सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना।
- i) हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल।
- j) के उपबंधों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्था/संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है।

2. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता द्वारा किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति पर, कार्यों का परित्याग, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता आदि जैसे कारणों से प्रतिबंध की गारंटी देता है।

3. यदि बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है- (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू कोई अन्य कानून, सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपदा के किसी भी नुकसान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए।

**सार्वजनिक संस्थानों (संस्थाओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचन
(निविदाकर्ता द्वारा उनके लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)**

कार्य का नाम बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि

(क) मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है..... (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि)।

(ख) मैंने/हमने या हमारी किसी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है.....। (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि)।

(ग) मैं/हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म * भारत या अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा या उससे पहले या उससे पहले प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिया जाता है।

2. मैं/हम (फर्म का नाम) घोषणा करता है कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म* (संबद्ध फर्मों का नाम) द्वारा प्रतिबंधित किया गया है/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है/कर दिया गया है। (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) और यह तक प्रभावी (तारीख)। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(आवेदक की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन कॉमन है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसकी एक नियंत्रित आवाज है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

अनुलग्नक ।

करार

यह करारा भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर प्रथम पक्ष जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400001 में है (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) और दूसरे पक्ष _____ (इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाता है) के बीच को किया गया।

जबकि "बैंक" के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने का कार्य" कराने का इच्छुक है और बैंक के इंजीनियर द्वारा या उसके निर्देशन में तैयार किए जाने वाले कार्य को दर्शाने और वर्णन करने के लिए मात्रा के ड्राइंग्स और बिल बनाए हैं।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और संविदा की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा गया है) (इसके बाद "उक्त संविदा राशि" के रूप में संदर्भित) पर दिखाए गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहमत है और/या उक्त विनिर्देश में वर्णित और उसमें संबंधित दर पर मात्रा-अनुसूची में शामिल किया गया है उसमें प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि के रूप में निर्धारित करें जो उसके तहत देय हो जाएगी।

अब इस पर सहमति निम्नानुसार है- :

1. उक्त शर्तों में निर्धारित समय पर और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार उक्त शर्तों पर और उनके अधीन उक्त अरेखों पर दिखाए गए कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा और उक्त विनिर्देशों और मात्रा-अनुसूची में वर्णित है।
2. बैंक ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।
3. कार्य के निष्पादन, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, परियोजना की प्रगति और पूरा

होने आदि के संबंध में उक्त स्थिति में "बैंक के इंजीनियर" शब्द का अभिप्राय उप महाप्रबंधक (तकनीकी), या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित कोई अन्य व्यक्ति होगा। जहां तक संविदा के प्रावधान के संचालन का सवाल है, अर्थात् मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे से संबंधित खंड, शब्द "बैंक के इंजीनियर" को संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के उप महाप्रबंधक/प्रभारी अधिकारी के रूप में पढ़ा जाएगा।

4. उक्त शर्तों और परिशिष्टों को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और इसके लिए पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उक्त शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से करार का पालन करेंगे।
5. प्लान्स, करार और यहां उल्लिखित दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे।
6. यह ठेका न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही एक टुकड़ा कार्य संविदा है, लेकिन यह बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा के संबंध में कार्य करने के लिए एक संविदा है, जिसका भुगतान मात्रा-अनुसूची में निहित दरों पर वास्तविक मापी गई मात्रा के अनुसार किया जाना है या जैसा कि प्रदान किया गया है। उक्त शर्तों।
7. ठेकेदार सिविल कार्यों, स्वच्छता कार्य और फिटिंग की स्थापना, स्थायी जल आपूर्ति, विद्युत प्रतिष्ठानों, फिटिंग और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को करने के लिए उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से हर उचित सुविधा प्रदान करेगा, और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्शों आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।
8. बैंक इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी कार्य की वस्तु को जोड़कर या छोड़कर या उसी के कुछ हिस्सों को पूरा करके कार्य के ड्राइंग्स और प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और किसी भी कार्य को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हजने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा।

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

10. ठेकेदार एतद्वारा कार्य हेतु पत्र की तारीख के 14 वें दिन से कार्य शुरू करने और 120 दिनों के भीतर पूरे कार्य को पूरा करने के लिए सहमत है, फिर भी इस तरह के फॉर्म द्वारा लिखित रूप में समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन (यानी करार के विलेख के माध्यम से या पत्रों/ईमेल के आदान-प्रदान द्वारा) जैसा कि पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जा सकता है।
11. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भुवनेश्वर में किए जाएंगे।
12. इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को भुवनेश्वर में उत्पन्न माना जाएगा और केवल भुवनेश्वर के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
13. इस संविदा के कई भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।
14. ठेकेदार/एजेंसी रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के प्रति यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
 - (a) बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
 - (b) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ठेकेदार के कर्मचारी को शामिल होने की घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार आईडी के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।
 - (c) ठेकेदार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
 - (d) ठेकेदार अपने उन कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के

परिसर में तैनात हैं।

15. ठेकेदारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम और लागू किसी अन्य अधिनियम का पालन करना होगा। सांविधिक मानदंडों/अपेक्षाओं के अनुपालन में ठेकेदार द्वारा चूक के कारण कार्य में किसी सांविधिक निकाय द्वारा जारी/लगाए गए नोटिस/जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान ठेकेदार द्वारा बैंक को किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।

गवाह, जहां बैंक और ठेकेदार ने इस करार पहले यहां ऊपर दिए गए अनुसार दिन और वर्ष को दो प्रतियों में निष्पादित किया है। (यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक व्यक्ति है)।

गवाह, जहां बैंक ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से इन करार पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने अपनी सामान्य मुहर लगाई है और उक्त दो डुप्लिकेट/इन करार और उक्त दो डुप्लिकेट प्रतियों को अपनी ओर से पहले यहां ऊपर दिए गए अनुसार दिन और वर्ष को निष्पादित किया है। (यदि ठेकेदार एक कंपनी है)।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से
.....द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया
गया

श्री.....

(नाम और पदनाम)

गवाहों की उपस्थिति में

(1)

पता.....

(2)

पता.....

.....द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया

(1)

यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म है या एक व्यक्ति पर सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए

पता.....
(2)

गवाहों

की सामान्य मुहरः
इसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में पारित संकल्पों के
अनुसरण में इस लगाया जाना है।

..... की उपस्थिति में

(1)

(2)

जिन निदेशकों ने इन पर निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर
किए हैं।

(1)

(2).....

यदि ठेकेदार अपनी
सामान्य मुहरों के तहत
हस्ताक्षर करता है, तो
हस्ताक्षर खंड को संस्था के
अंतर्नियमों के सीलिंग
क्लॉज के साथ मिलान
करना चाहिए
यदि ठेकेदार पावर ऑफ
अटॉर्नी के हाथ से हस्ताक्षर
कर रहा है, चाहे वह कंपनी
हो या व्यक्ति

नोट: बैंक ठेकेदार के साथ करार करने से पहले करार की सामग्री को संशोधित करने का
अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनुलग्नक ॥
ईएमडी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

स्थान
तारीख

प्रिय महोदय/महोदया,

बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाना

जबकि

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है और एक ऑफिस भुवनेश्वर में है (जिसे आगे 'बैंक' कहा जाएगा), ने बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु ई-टेंडर मंगाए हैं, जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में बताए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर होंगे।

1. टेंडर की शर्तों में से एक यह है कि कॉन्ट्रैक्टर को अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट के तौर पर _____ रुपये (_____ रुपये मात्र) की बैंक गारंटी देनी होगी।
2. मेसर्स _____, (इसके बाद से कहा जाएगा)

कॉन्ट्रैक्टर), जो हमारे लोग हैं, उस कार्य के लिए अपना टेंडर जमा करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे रु..... (.....रु.) की रकम के लिए बैंक को गारंटी देने की रिकेस्ट की है।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम _____ (बैंक) इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति में भारत इस नतीजे पर पहुँचता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो नतीजा हम पर और कॉन्ट्रैक्टर पर भी लागू होगा, तो हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की माँग पर, बिना किसी आपत्ति के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को _____ रुपये

(_____ रुपये) का पेमेंट करेंगे।

सिर्फ) या कोई भी कम रकम जो रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया मांग सकता है। हमारी गारंटी को बताई गई शर्तों के तहत कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए बयाना जमा के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी इससे ज़्यादा नहीं होगी।

रु. _____/- (रुपये _____ के बराबर)

2. हम यह भी पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि रु. 50,000 से अधिक नहीं होगी।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, _____ /- (सिर्फ) _____ रुपये) हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिखित में नोटिस मिलने पर मांग करने पर पेमेंट कर देंगे, जिसमें बताया गया हो कि यह रकम उन्हें देनी है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिस हमारे लिए पक्का और ज़रूरी होगा और हम इस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम ऊपर बताए गए नोटिस के मिलने की तारीख से एक हफ्ते के अंदर रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्लेम की गई रकम का पेमेंट करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉन्ट्रैक्टर के बीच हुए करार या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहले से लिखित मंजूरी के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि –

a) इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस टेंडर और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी नरमी या कमीशन, या रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ तभी खत्म होगी जब कॉन्ट्रैक्टर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तरफ से रु.. _____/- (रु..... only) से ज़्यादा की रकम का पेमेंट करके।

b) इसके अंतर्गत हमारी देनदारी 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

_____ /- (रुपये _____)

केवल)

- c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों की तरफ से उस कार्य के लिए टेंडर देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।
 - d) यह गारंटी _____ तक लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर रिझर्व बैंक ऑफ़ इंडिया चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं शर्तों और नियमों पर नवीकृत किया जा सकेगा जो इसमें दी गई हैं।
-
- e) इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन शर्तों को ऊपर बताए गए तरीके से _____ तारीख को या उस दिन नवीकृत नहीं किया जाता जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए सिफ़र रिझर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक उस तारीख से छह महीने के अंदर या किसी बढ़ाए गए समय के अंदर हमारे खिलाफ़ कोई दावा या केस या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ़ रिझर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

भवदीय,

के लिए और की ओर से

_____ बैंक

अधिकृत अधिकारी

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प छूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।)

अनुलग्नक III
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
(गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

स्थान
तारीख

प्रिय महोदय/महोदया,

बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में
लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

जबकि

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "RBI" कहा जाएगा),
ने ऊपर बताए गए प्रोजेक्ट (जिसे आगे "कॉन्ट्रैक्ट" कहा जाएगा) के लिए कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स
(कॉन्ट्रैक्टर का नाम) (जिसे आगे "कहा गया कॉन्ट्रैक्टर" कहा जाएगा)
जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) को दिया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त संविदा द्वारा आरबीआई को एक प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है
संविदा में निहित नियमों और शर्तों के उक्त ठेकेदार द्वारा उचित पूर्ति के लिए कुल
₹. _____ (रुपये _____ केवल) (आंकड़ों और शब्दों में
राशि) की सुरक्षा।

हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) मेसर्स _____
ठेकेदार के अनुरोध पर, संविदा की शर्तों और नियमों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में
आरबीआई को _____ से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम _____ (बैंक का नाम) इसके साथ सहमत हैं और RBI,
उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ यह वादा करते हैं कि अगर RBI इस नतीजे पर पहुँचता है
कि कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उसका
उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और उस कॉन्ट्रैक्टर पर भी लागू होगा; RBI की माँग पर,

- हम RBI को बिना किसी आपत्ति के, _____ रुपये (रुपये सिफ़र) या RBI द्वारा माँगी गई कोई भी कम रकम देंगे। हमारी गारंटी को उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी रकम के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी _____ रुपये (रुपये सिफ़र) से ज़्यादा नहीं होगी।
2. हम यह भी पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि रु. 50,000 से अधिक नहीं होगी।

_____/- (रुपये _____ केवल) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल भारतीय रिझर्व बैंक से मांगने पर, लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा जिसमें कहा गया हो कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और भारतीय रिझर्व बैंक का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। बैंक किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/ओं के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद आरबीआई को इस प्रकार माँगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम ऊपरोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत रिझर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, रिझर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और कॉन्ट्रैक्टर के बीच हुए करार या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।
4. RBI की पहले से लिखित मंजूरी के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि –

- a) इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस टेंडर और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में रिझर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से कोई भी नरमी या कमीशन, या रिझर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिफ़र तभी खत्म होगी जब कॉन्ट्रैक्टर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तरफ से रु.. _____/- (रु..... only) से ज़्यादा की रकम का पेमेंट करके।
- b) इसके अंतर्गत हमारी देनदारी 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। _____(केवल रुपए)
- c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी

या गड़बड़ी या इसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

- d) यह गारंटी तब तक लागू रहेगी _____ (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से 60 दिन आगे) बशर्ते कि अगर RBI चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं शर्तों और नियमों पर नवीकृत किया जाएगा जो इसमें दी गई हैं।
- e) इन तोहफों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन तोहफों को ऊपर बताए गए तरीके से उस दिन या उस दिन नवीकृत नहीं किया जाता जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए RBI का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, चाहे तारीख बाद की हो। जब तक हमारे खिलाफ़ किसी बढ़े हुए समय के अंदर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ़ RBI के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैंने/हमने बैंक की ओर से इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है, तारीख --
----- (महीना) (वर्ष) को विधिवत अधिकृत होकर।

_____ (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम

बैंक की मुहर/सील

..... की उपस्थिति में साइन, सील और डिलीवर किया गया,

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प छ्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।)

नुलग्रक - “ IV”

क्लाइंट का सर्टिफिकेट - कॉन्ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस
 ग्राहक का नाम और पता
 श्री/मेसर्सद्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | कार्य का नाम और छोटी जानकारी | |
| 2 | संविदा संख्या और दिनांक | |
| 3 | करार की राशि | |
| 4 | कार्य शुरू करने की तारीख | |
| 5 | पूरा होने की निर्धारित तिथि | |
| 6 | पूरा होने की वास्तविक तिथि | |
| 7 | देरी के लिए लगाए गए मुआवजे का ब्यौरा (अगर कोई हो तो रकम बताएं) | |
| 8 | पूरे किए गए और चुकाए गए कार्य की कुल रकम | |
| 9 | उस अर्थात् का नाम और पता जिसके तहत कार्य किया गया | |
| 10 | क्या कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य करते समय क्लालिफाइड इंजीनियर/ओवरसियर को कार्य पर रखा था? | |
| 11 | i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं) | उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब |
| | ii) कम रेट पर दिए गए कार्य की रकम, अगर कोई हो। | |
| 12 | i) क्या कॉन्ट्रैक्टर आबिट्रिशन के लिए गया था?
ii) अगर हाँ, तो क्लोम की कुल रकम
iii) कुल दी गई राशि | |
| 13 | कॉन्ट्रैक्टर की क्षमता पर कमेंट्स
क) तकनीकी दक्षता | उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब |
| | ख) वित्तीय सुदृढ़ता | उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब |
| | ग) पर्याप्त टी एंड पी का जुटाना | उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब |
| | d) जनशक्ति का जुटाव | उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब |
| | ई) सामान्य व्यवहार | उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/ |

रिपोर्टिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर* ऑफिस की मुहर सहित

* सरकारी/पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट/क्लाइंट सर्टिफिकेट के बारे में, सर्टिफिकेट पर संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उसके बराबर या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी के साइन होने चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए, क्रेडेंशियल/कॉन्ट्रैक्ट की रकम साबित करने के लिए TDS की कॉपी जमा करनी होगी।

अनुलग्नक-5
किसी शेड्यूल्ड बैंक से बैंकर्स सर्टिफिकेट का फॉर्म

बैंक के लेटर हेड पर

संदर्भ सं. _____

तारीख: _____

क्षेत्रीय निदेशक
 भारतीय रिज़र्व बैंक
 संपदा विभाग
 पं. जे.एल. नेहरू मार्ग
 भुवनेश्वर-751001

आदरणीय महोदय/महोदया,

कार्य का नाम: बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्प्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाना

यह सर्टिफाई किया जाता है कि हमारी जानकारी और जानकारी के अनुसार मेसर्स /श्री हमारे बैंक के कस्टमर हैं, जिनका पता छोटा लिखा है, वे इज्जतदार हैं और उन्हें ₹ 48,56,893/- (अड़तालीस लाख छप्पन हजार आठ सौ तिरानबे रुपये मात्र) तक के किसी भी कार्य के लिए अच्छा माना जा सकता है।

यह सर्टिफिकेट बैंक या उसके किसी भी अधिकारी की किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

शेष जानकारी आपके अवलोकनार्थ एवं रिकार्ड के लिए नीचे दी गई है:

प्रिसिपल बैंकर/दूसरे बैंकरों की जानकारी के लिए प्रो फॉर्मा

क्रमांक।	विवरण	प्रधान बैंकर	बैंकर	बैंकर
1	पता			
2	संपर्क व्यक्ति			
3	ई-मेल			
4	टेलीफोन नंबर			

5	फैक्स नंबर			
---	------------	--	--	--

(हस्ताक्षर)

कृते बैंक

टिप्पणी:

बैंकर्स सर्टिफिकेट बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, और RBI के नाम पर सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए।

पार्टनरशिप फर्म के मामले में, सर्टिफिकेट में बैंक में दर्ज सभी पार्टनर्स के नाम होने चाहिए।

अनुलग्नक – VI

ग्राहकों की सूची

- i. 5 साल से पहले किए गए ऐसे ही क्वालिफाइंग कार्यों की डिटेल्स (वर्क ऑर्डर की तारीख 31 मई 2020 या उससे पहले होनी चाहिए)

क्रमांक	कार्य का नाम	मालिक का नाम और पता	कार्य की प्रकृति और विशिष्टता	उस अधिकारी का नाम और पूरा पता जिसके अंदर कार्य किया गया था	मात्रा	क्या कार्य समय पर पूरा हुआ?	टिप्पणी

- ii. पिछले 5 सालों में किए गए ऐसे ही क्वालिफाइंग कार्यों की डिटेल्स (31 मई 2020 को या उसके बाद पूरे हुए)

क्रमांक	नाम और का पता अटल	की प्रकृति समान कार्य	का मूल्य कार्य	चाहे कार्य करता है में पूरा हुआ समय है या नहीं (तारीख बताएँ प्रारंभ और और की तारीख समापन)	समापन अवधि अनुसार कार्य - आदेश	फैक्स /फोन के संख्या & संपर्क व्यक्ति अटल

स्थान:

तारीख:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – VII

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन करार से सभी पक्षों को यह ज्ञात हो कि, हम.....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री/सुश्री को को हमारे अटॉर्नी के रूप में अधिकृत, नियुक्त और प्राधिकृत करते हैं (पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और के पद पर है और वे हमारे नाम पर और हमारी ओर से, बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने का कार्य के संदर्भ में हमारी बोली के संबंध में या आकस्मिकताओं के संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं जिनमें भारतीय रिझर्व बैंक के लिए मद दर संविदा के आधार पर, सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और सुपुर्द करना और आरबीआई को सूचना/प्रतिक्रिया देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और आम तौर पर उक्त प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ कार्य करना शामिल है।

हम इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, और प्रक्रिया हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाती रहेंगी।

नोट:

पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत किया जाना चाहिए।
प्रस्तुत पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/(हस्ताक्षर)
नाम
बोलीदाता की स्टाम्प/मुहर

(नोट: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे।)

अनुलग्नक VIII

परिशिष्ट यहां से पहले संदर्भित है

1.	दोष देयता अवधि या वारंटी	वर्चुअल पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख से बारह माह
2.	अंतिम माप की अवधि	3 माह
3.	कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	कार्य आदेश जारी करने के पत्र की तारीख के 14 वें दिन से।
4.	पूरा होने की अवधि	वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तारीख
5.	परिसमापन क्षति	एलडी खंड के अनुसार (संविदा राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत)
6.	अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्यों का मूल्य	रु10.00 लाख
7.	प्रतिधारण प्रतिशत	प्रत्येक बिल (आरए और अंतिम बिल) से 5%
8.	वर्चुअल समापन के बाद प्रतिभूति जमाराशिएसडी के रूप में आरएम दोष देयता अवधि के बाद जारी की जाएगी, बशर्ते उल्लिखित दोषों (यदि कोई हो) को संतोषजनक ढंग से ठीक किया गया हो	
9.	प्रमाण पत्र की वैध अवधि	अंतरिम बिल के लिए एक महीने और अंतिम बिल के लिए 3 माह।
10.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	यदि ठेकेदार द्वारा समय से बिल प्रस्तुत किए गए और उन्हें सही पाया जाता है, तो बिलों के भुगतान में देरी के मामले में ब्याज का भुगतान किया जाना है, ब्याज की दर भविष्य निधि की ब्याज दर होनी चाहिए।

अनुलग्नक IX

वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और विनिर्देश:

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

अनुलग्नक X

तकनीकी विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी तकनीकी नियम और शर्तें और विनिर्देश।

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

अनुलग्नक- XI

कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक का प्रारूप

Format of Computerized Measurement Book

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

भुवनेश्वर कार्यालय

BHUBANESWAR OFFICE

कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक

(पेज 1 से __)

यह पुस्तक M/s _____ से जारी की गई है

यह पुस्तक मैसर्स _____ द्वारा जारी की गई है।

प्रमाणित किया गया कि इस पुस्तक में __ पृष्ठ हैं

जिस अधिकारी को पुस्तक जारी की जाती है,
उसके हस्ताक्षर

समप्र-संपदा विभाग के हस्ताक्षर

॥

सूची

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	पृष्ठ सं

三

मापन परीक्षण का सारांश

परीक्षण जांच माप का सार

क्रम संख्या	मर्दों के विवरण	पृष्ठ सं	कुल राशि	अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग भुवनेश्वर माप
कार्य का नाम:
विक्रेता का नाम: मैसर्स
कार्य प्रारंभ होने की दिनांक:
कार्य आदेश संख्या:

आवक संख्या:
चालान संख्या:
कार्य पूरा होने की दिनांक:

क्र.सं.	मद का विवरण	इकाई	मात्रा

पेज नं. - _____

भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर
लागत सार
कार्य का नाम -
विक्रेता का नाम :
कार्य प्रारंभ होने की दिनांक:
कार्य आदेश संख्या:

आवक संख्या:
चालान संख्या:
कार्य पूरा होने की दिनांक:

क्र.सं.	मद का विवरण	इकाई	मात्रा	दर/ इकाई (₹ में)	राशि (₹ में)
	कुल				

पेज नं. - _____

टिप्पणियाँ: सभी शीटों पर अंकन किया जाएगा। (ऊपर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार, शीट तीन रंगों में तीन प्रतियों में होंगी - क्रमशः सफेद, पीले और हरे)। प्रत्येक माप पुस्तिका हार्ड बाउंड होगी और प्रत्येक आरए बिल और अंतिम बिल के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

Annexure – ‘XII’

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन-पत्र / घोषणा /

प्रमाण पत्र के लिए कार्यनिष्पादन

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग, 2 मंजिल,

मुख्य कार्यालय भवन,

भुवनेश्वर- 751001

कार्य का नाम: बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्प्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने का कार्य

प्रिय महोदय,

मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी की सामग्री को पढ़ा और समझा है और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा और समझा है।

2. उपर्युक्त संदर्भित आदेश में उल्लिखित परिभाषाओं और बोलीदाता के संबंध में इसके बाद के संशोधनों के आधार पर, मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से हैं जहां भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन की सुविधा दी है या iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से हैं जहां भारत सरकार विकास प्रोजेक्ट में लगी हुई है। (उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइकआउट करें)।

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ऐसे देश (देशों) के ठेकेदार को किसी भी कार्य का उप-संविदा नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
4. मैं समझ गया हूं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन-पत्र/घोषणा/प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/कार्य आदेश को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमाराशि (ईएमडी)/ कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी / सेक्युरिटी डिपॉजिट राशि को जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

रबर स्टैम्प के साथ फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक XIII

प्रोजेक्ट फॉलो-अप - एस्केलेशन मैट्रिक्स

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण को भरें।

क्रमांक	वृद्धि स्तर	व्यक्ति का नाम और पदनाम	पता	ई-मेल आईडी	फोन संख्या
1	1 (साइट - पर्यवेक्षक)				
2	जूनियर प्रबंधन				
3	मध्य प्रबंधन				
4	शीर्ष प्रबंधन				

डीएलपी के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण भरें।

क्रमांक	वृद्धि स्तर	व्यक्ति का नाम और पदनाम	पता	ई-मेल आईडी	फोन संख्या
1	1 (सेवा प्रबंधक)				
2	जूनियर प्रबंधन				
3	मध्य प्रबंधन				
4	शीर्ष प्रबंधन				

अनुलग्नक XIV

ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई सामग्री के अग्रिम भुगतान के संबंध में वचनपत्र का प्रोफार्मा

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे बाद में 'आरबीआई' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने मैसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (इसके बाद 'ठेकेदार' के रूप में संदर्भित किया गया है) को शीर्षक वाले प्रोजेक्ट (इसके बाद 'संविदा' के रूप में संदर्भित किया गया है) के लिए संविदा प्रदान किया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल होंगे।

और जबकि ठेकेदार आरबीआई को एक निष्पादन प्रस्तुत करने के लिए उक्त वचनपत्र से बाध्य है।

नियोक्ता और ठेकेदारों ने एक _____ करार किया है जिसे इसके बाद उक्त करार के रूप में कहा गया है और करार में शर्तों के खंड संख्या 1.28 के अनुसार, नियोक्ता ने सहमति व्यक्त की है कि ठेकेदार को नियोक्ता के विवेक पर कार्यों में उपभोग के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई गैर-नाशपाती निर्माण सामग्री की लागत का 75% अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

ठेकेदार ने नियोक्ता को आवेदन किया है कि उन्हें पूरी तरह से उनसे संबंधित सामग्रियों की सुरक्षा पर अग्रिम की अनुमति दी जाए और उनके द्वारा कार्य स्थल पर लाया जाए। नियोक्ता इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों पर ऐसा करने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह वचन पत्र इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के परामर्श से और नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को भुगतान/देय राशि और ठेकेदारों को किए गए किसी भी आगे के अग्रिमों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पूर्वोक्त है, ठेकेदार नियोक्ता से सहमत होता है और निम्नानुसार कार्य करता है:

1. नियोक्ता द्वारा ठेकेदारों को दी गई अग्रिम राशि पूर्वोक्त के रूप में और उपरोक्त सभी या कोई और राशि या अग्रिम राशि ठेकेदार द्वारा उक्त कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नियोजित नहीं की जाएगी।

2. कि नियोक्ता द्वारा सुरक्षा के रूप में पेश की गई और स्वीकार की गई सामग्री पूरी तरह से ठेकेदार की अपनी संपदा है और भार या किसी भी प्रकार से मुक्त है और ठेकेदार उन सामग्रियों की सुरक्षा के लिए कोई आवेदन नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा जो पूरी तरह से उसकी अपनी संपदा नहीं हैं और किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है, ठेकेदार नियोक्ता को किसी भी सामग्री के संबंध में सभी दावों के प्रति क्षतिपूर्ति करता है जो उन्हें पूर्वोक्त के रूप में अग्रिम कर दिया गया है।
3. जिन सामग्रियों की सुरक्षा पर अग्रिमों की कोई और अग्रिम राशि इसके बाद पूर्वोक्त के रूप में की जा सकती है (इसके बाद उक्त सामग्री कहा जाता है) का उपयोग ठेकेदार द्वारा केवल नियोक्ता के बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार और उक्त करार की शर्तों के अनुसार उक्त कार्यों के निष्पादन में किया जाएगा।
4. कि ठेकेदार उक्त सामग्रियों के सभी जोखिमों के प्रति उचित निगरानी, सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी लागत पर सभी आवश्यक और पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और जब तक कि पूर्वोक्त रूप से निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक उक्त सामग्री ठेकेदार की हिरासत में और अपनी जिम्मेदारी पर उक्त कार्यों के स्थल पर रहेगी और हर समय नियोक्ता के इंजीनियरों या किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी नियोक्ता द्वारा प्राधिकृत। उक्त सामग्री या उसके किसी भी हिस्से के चोरी, नष्ट या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, ठेकेदार तुरंत उसी को मात्रा या मरम्मत की अन्य सामग्रियों से बदल देगा और सहायक अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता द्वारा अपेक्षित रूप से बेहतर करेगा।
5. कि उक्त सामग्री को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना किसी भी कारण से उक्त कार्यों के स्थल से नहीं हटाया जाएगा।
6. कि अग्रिम पूर्ण रूप से तब चुकाने योग्य होंगे जब या इससे पहले कि ठेकेदार नियोक्ता से उक्त कार्यों के लिए उन्हें देय मूल्य का भुगतान प्राप्त करते हैं, शर्तों और उक्त करार के प्रावधानों के तहत बशर्ते कि यदि ठेकेदारों को किए गए कार्य के कारण कोई मध्यवर्ती भुगतान किया जाता है, तो इस तरह के प्रत्येक भुगतान के अवसर पर उक्त सामग्री के मूल्य में कटौती करके वास्तव में उपयोग की जाने वाली सामग्री निर्माण और जिसके संबंध में वसूली पहले नहीं की गई है, इस उद्देश्य के लिए मूल्य सामग्री के प्रत्येक विवरण के संबंध में निर्धारित किया जा रहा है, जिस पर इन दस्तावेजों के तहत किए गए अग्रिमों की मात्रा की गणना की गई थी।

7. कि यदि ठेकेदार किसी भी समय उक्त करार के किसी भी नियम और प्रावधानों या इन दस्तावेजों में से किसी के भी संबंध में कार्यनिष्पादन या पालन में कोई चूक करेंगे, तो अग्रिम या अग्रिमों की कुल राशि जो अभी भी नियोक्ता के कारण हो सकती है, इस तरह की चूक के होने पर तुरंत, ठेकेदारों द्वारा नियोक्ता को 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ पुनर्भुगतान की तारीख तक इस तरह के अग्रिम या अग्रिमों की संबंधित तारीखों से और सभी लागत शुल्कों, क्षतिग्रस्त और नियोक्ता द्वारा इसकी वसूली के लिए या इस सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए किए गए खर्चों के साथ या अन्यथा ठेकेदारों और ठेकेदारों के डिफ़ॉल्ट के कारण संविदा और इसके साथ सहमत हैं और इसके साथ सहमत हैं नियोक्ता को तदनुसार उसे क्रमशः भुगतान करना और भुगतान करना होगा।
8. कि ठेकेदार एतद्वारा उपरोक्त के रूप में अग्रिम राशि की राशि के नियोक्ता को पुनर्भुगतान के साथ उक्त सभी सामग्रियों को चार्ज करते हैं और इन दस्तावेजों के तहत देय सभी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय हमेशा प्रदान करते हैं और यह इसके द्वारा सहमत और घोषित किया जाता है कि उक्त करार में कुछ भी होने के बावजूद और उसमें निहित शक्तियों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना, यदि और जब भी भुगतान और पुनर्भुगतान के लिए संविदा इसमें निहित है, तो लागू करने योग्य हो जाएगा :
 - a. उक्त करार में निहित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों की ओर से उक्त कार्यों को पूरा करने में उक्त सामग्री या उसके किसी हिस्से को जब्त करना और उसका उपयोग करना, ठेकेदार को इस तरह के पूरा होने की वास्तविक लागत और इन दस्तावेजों के तहत अग्रिमों के संबंध में देय राशि के साथ डेबिट करना और ठेकेदारों को किए गए कार्य के मूल्य के साथ क्रेडिट करना जैसे कि उसने इसे किया था। उक्त करार के अनुसार और इसके द्वारा प्रदान की गई दरों पर, यदि शेष राशि ठेकेदारों के विरुद्ध है, तो वे मांग पर नियोक्ता को इसका भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।
 - b. जब्त की गई सामग्री या उसके किसी भी हिस्से को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचें और बिक्री से उत्पन्न धन में से इन दस्तावेजों के तहत नियोक्ता को उपर्युक्त पुनर्देय या देय सभी राशियों को अपने पास रखें और ठेकेदारों को अधिशेष (यदि कोई हो) का भुगतान करें।
 - c. उक्त करार के तहत सुरक्षा जमा या ठेकेदार को देय किसी भी राशि के स्वामित्व वाले धन के सभी या किसी भी हिस्से की कटौती करना।

9. कि ठेकेदारों की ओर से पूर्वोक्त इस तरह की चूक की स्थिति को छोड़कर, उक्त अग्रिम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. कि इन प्रस्तुतियों और उक्त करार के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, इन प्रस्तुतियों के प्रावधान प्रबल होंगे और उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, जिसका निपटान पहले स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रदान नहीं किया गया है, प्रभारी अधिकारी को भेजा जाएगा, परिसर विभाग, मुंबई, जिसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत, मध्यस्थ या प्राधिकरण के समक्ष उसके निर्णय के प्रति कोई अपील नहीं की जाएगी।
11. इस वचनपत्र के प्रावधान को उक्त करार के पूरक माना जाएगा।

ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को जिसके गवाह में ठेकेदारों ने इन दस्तावेजों के लिए अपने हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है।

सत्यापित हस्ताक्षर

नाम

पता

सत्यापित हस्ताक्षर

नाम

पता



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

खंड ।

तकनीकी निर्देश-

इसके साथ अंग्रेजी का संबंधित खंड देखें।

खंड J

स्वीकृत ब्रांड और/या सामग्री के निर्माता की सूची

क्र.सं	आइटम	स्वीकृत सूची
1	सीमेंट	A.C.C, Ultratech, Ramco, Birla, Ambuja of approved equivalent
2	सफेद सीमेंट	Birla White, J.K. White or approved equivalent
3	गोंद/चिपकने वाला	Fevicol, Araldite, Vamicol or equivalent approved
4	ऑटो हिंग्स	Godrej, hettich or equivalent approved
5	एसएस फिटिंग	Godrej, hettich, or equivalent approved
6	स्टेनलेस स्टील सहायक उपकरण और हार्डवेयर	Hettich, Sterling, Haffle, Kaff, Ever shine, polo or equivalent approved
7	हैंडल के साथ यूपीवीसी विंडो	VEKA, EUREKA, WAPPS or approved equivalent
8	ग्लास (टफेन 6 मिमी)	Saint Gobain, AIS or approved equivalent

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक:

स्थान:



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर
खंड K

बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में
लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/8/25-26/ईटी/219

अन-प्राइस्ड शेड्यूल ऑफ कांटीज़

भाग -II

ठेकेदार का नाम _____

पता _____

बंद बोली तिथि: - 01 अगस्त, 2025 को 14.00 बजे तक



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

" बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा"

"

उद्देशिका

उद्धृत दरों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. मात्रा की अनुसूची में दर्शाई गई वस्तु और मात्रा अस्थायी हैं और कार्य की आवश्यकता के अनुसार हैं और जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है, कुछ वस्तुओं/मात्राओं को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है या किसी भी हद तक मात्रा में कमी के साथ निष्पादित किया जा सकता है। ठेकेदार को बैंक के निदेश के अनुसार वस्तुओं/मात्राओं का निष्पादन करना होता है और मदों के संचालन न होने/मात्रा में कमी के संबंध में बैंक द्वारा इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. ठेका श्रम अधिनियम, 1970 (बाद में संशोधन यदि कोई हो) और उसमें नियमों के तहत सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए अपेक्षित शुल्क।
3. सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण नियमों का पालन करने वाले ठेकेदार द्वारा किए गए सभी लागतों और शुल्कों के लिए प्रदान करना, साइट पर कार्यरत कर्मचारियों और कार्य करने वाले लोगों के लिए।
4. नवीकरण/निर्माण/मरम्मत/अवधि के दौरान साइट को कार्यों से उत्पन्न होने वाले मलबे से मुक्त रखना और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए कार्य पूरा होने पर साइट को मलबे से मुक्त छोड़ना।

5. बिजली की रोशनी प्रदान करना, सिस्टम को बनाए रखना, सभी कार्यों के लिए आवश्यक और पूरा होने पर अस्थायी प्रतिष्ठानों को हटा दें।
6. चिनाई/कंक्रीट/फर्श/दीवारों/पार्टिशन आदि में आवश्यक छेद//चेज़ बनाना और बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के आसपास के विनिर्देश से मेल खाने वाले नुकसान को पूरा करना।
7. आवश्यक मचान प्रदान करना और खड़ा करना और कार्य क्षेत्र के लिए पहुंच प्रदान करना जैसा कि मरम्मत कार्यों को पूरा करने और सभी स्तरों और ऊंचाइयों पर कार्य के निरीक्षण के लिए हो सकता है और कार्य के संतोषजनक समापन के बाद इसे हटा दिया जाता है।
8. साइट का निरीक्षण करने और संबंधित कार्यों से परिचित होने के लिए शुल्क दरों को उद्धृत करने से पहले किए जाने वाले कार्यों के लिए बस विचार करें।
9. पूरे कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर एक योग्य पर्यवेक्षक की सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक शुल्क और बैंक से निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार कार्य करने के लिए कार्य स्थल पर उपलब्ध होगा।
10. ठेकेदारों को कार्य सौंपने के तुरंत बाद एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा और कार्य शुरू होने से पहले इसे बैंक से अनुमोदित करना होगा।
11. दरों में बैंक के परिसर से सभी मलबे आदि को हटाना और हटाना भी शामिल होगा।
12. ठेकेदारों को बैंक के सत्यापन के लिए सामग्री की प्रत्येक आपूर्ति के लिए मूल चालान प्रदान करने के लिए। यदि यह प्रदान नहीं किया जाता है और सामग्री विनिर्देशों/अनुमोदित के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो भुगतान के लिए मापा नहीं जाएगा।
13. सीमेंट और वाटरप्रूफ पेंट के उपयोग से जुड़े कार्य की वस्तुओं का उपचार।

14. दरों में सभी अपेक्षित कर, जीएसटी, परिवहन शुल्क आदि और कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामान शामिल होने चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी सामग्रियों और श्रम की कीमतों में सभी उतार-चढ़ाव ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।

स्थान: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

नाम और पता



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

अन-प्राइस्ड शेड्यूल ऑफ कॉंट्रीज

कार्य का नाम: बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	इकाई	मात्रा
	Supplying, fabricating and fixing in position as per manufacturing specification uPVC variety sliding/Casement windows		
1	Carefully dismantling and removing the existing window frames and shutters, without using the vibrator, shifting and stacking the removed salvageable items at location shown within the colony premises, disposing off and carting away the debris out of the colony premises including rebate for taking away old window frames & shutters, etc. complete as directed by the Engineer-in-Charge of the Bank	हर	260
2	Repair.		
	Repair. to plaster of thickness 12 mm to 20 mm in patches of area 2.5 sq.meter and under, including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls complete, including disposal of rubbish to the dumping ground, all complete as per direction of Engineer-in-Charge	वर्गमीटर	100
3	Double Scaffolding		

	Providing and fixing double scaffolding system (cup lock type) on the exterior side, up to seven story height made with 40 mm dia M.S. tube 1.5 m centre to centre, horizontal & vertical tubes joining with cup & lock system with M.S. tubes, M.S. tube chalies, M.S. clamps and M.S. staircase system in the scaffolding for working platform etc. and maintaining it in a serviceable condition for the required duration as approved and removing it there after .The scaffolding system shall be stiffened with bracings, runneरु., connection with the building etc wherever required for inspection of work at required locations with essential safety features for the workmen etc. complete as per directions and approval of Engineerin-charge .The elevational area of the scaffolding shall be measured for payment purpose .The payment will be made once irrespective of duration of scaffolding.	वर्गमीटर	2000
4	UPVC Window (Sliding)		
	uPVC sliding window with toughened glass 5-6mm thick and fittings	वर्गमीटर	400
	Supplying, fabricating and fixing in position as per manufacturing specification uPVC variety sliding windows along with frame work and all required accessories and hard wares as per the following detail specifications and sizes, structurally reinforced with hot dip galvanized approximate 50microns		
i)	The uPVC window frame and sliding shutter frames to be used shall be white / Ivory in colour or as approved by Bank and not less than 2.20 mm thick out of uPVC extruded hollow profiles with minimum 1.0 mm thick Galvanised Iron reinforcement		
ii)	The all-round peripheral UPVC white colour / Ivory colouror as approved by Bank window frame work shall be out of 3-track type and of approximate 45mm X 108 mm cross sectional size.		
iii)	The all-round frame work of sliding window shutteरु. shall be out of sash approximate 58 mm x 39 mm cross sectional size for longer / bigger windows		
iv)	The entire window system shall be provided with three sliding shutteरु. and Out of which two are glazed type provided with 5-6 mm thick clear toughened glass. The remaining one shutter panel shall be provided with SS wire mesh – SS 304 grade 24 SWG wires (both ways) with minimum 144 apertures per Sq. Inch using all necessary accessories like FPVC gasket etc. The		

	<p>joinery of entire window shall be fabricated with 45-degree mitre cut along with providing fusion welding.</p>	
	<p>v) The bottom frame member shall be duly provided with necessary drain section/perforations / slots of minimum 5 mm x 20 mm size and also with necessary shelter cover on outer frame of the windows to ensure easy draining of rain water</p>	
	<p>vi) All sliding shutters shall be provided with standard manufacturing specification and variety hardware like required number. heavy duty sliding ball bearing type wheels to ensure soft & smooth sliding of shutters and built-in handles with sunk in concealed locking arrangements.</p>	
	<p>vii) After proper fixing of the entire UPVC window case over the all-around jambs and soffits frame, the edges/gaps around shall be duly sealed by using clear silicon by using pressure gun or suitable method to ensure no water seepages/ leakages from external sides.</p>	
	<p>Rate shall be included the cost of making required holes in the outer side at sill level to drain out the water from door frame.</p>	
	<p>Note:</p> <p>i) The sizes of window openings as indicated are approximate. The contractor shall inspect the site and get thoroughly acquainted with the entire scope of work and also, confirm the given sizes before quoting. The contractor shall note that, no extra shall be considered in any case on account of any variations in sizes on either side.</p> <p>ii) The rate shall suitably include for submitting 10 years written warranty for the supplied UPVC windows against any Rotting, Warping and Cracking from the manufacture counter signed by the contractor (5 years warranty for hardwares, sealant, lock, roller etc)</p>	
	<p>Block A Approximate Size of Window For 1 Flat:</p>	
	<p>Hall (2500mmX1200mm)</p>	
	<p>Bedroom (1000mmX1200mm)-3No</p>	

	Bedroom (1500mmX1200mm)-2Nos		
	Kitchen (1000mmX1200mm)		
	Servant Room (1000mmX1200mm)		
	Total 5 flats		
	Block B,C,D,E Approximate Size of Window for 1 Flat:		
	Hall (2000mmX1200mm)		
	Kitchen/ Servant (1000mmX1200mm)-2Nos		
	Bedroom (1500mmX1200mm)-3Nos		
	Total 32 flats		
	Note: The above dimensions are approximate.		
	Note: For exact measurements, the vendor are advised to visit the site.		
5	UPVC Window (Casement)		
	uPVC Casement window with toughened glass and fittings		
	(i) Supplying, fitting , fixing of uPVC white/ ivory colour or colour as approved by the Bank ,Casement Window duly manufactured , along with frame work and all required accessories using UPVC reinforced profiles of approximate 60mmX50mmX2.25mm for casement windows sash profile capable of mounting single glazing system structurally reinforced with hot dip galvanized approximate 50microns of minimum thickness of 1.5mm prefabricated and welded through fusion welding the window sash will be fitted with 5-6mm thick clear toughened glass duly fixed with EPDM weathering seal resistant accessories like clipping locking system made of Aluminium approximate 1 no per set of sashes and the system is to be installed at the site using anchor fastener, silicon rubber sealant, easy glazing/deglazing at site etc. including cost and conveyance of all materials accessories labour charges, of all materials and products confirming to ASTM D 638-14 EN-477-95 and other applicable codes and standards.		

	ii) The bottom member shall be duly provided with necessary drain section/perforations / slots and also with necessary shetler cover on outer frame of the windows to ensure easy draining of rainwater		
	iii) All windows shall be provided with standard manufacturing specification and variety hardware like built-in handles with sunk in concealed locking arrangements.		
	iv) After proper fixing of the entire UPVC window case , the edges/gaps around shall be duly sealed by using clear silicon by using pressure gun or any suitable method to ensure no water seepages/ leakages from external sides.		
	(v) Rate shall be included the cost of making required holes in the outer side at sill level to drain out the water from door frame.		
	Note: i) The sizes of window openings as indicated are approximate. The contractor shall inspect the site and get thoroughly acquainted with the entire scope of work and also, confirm the given sizes before quoting. The contractor shall note that, no extra shall be considered in any case on account of any variations in sizes on either side. ii) The rate shall suitably include for submitting minimum 10 years written warranty for the supplied UPVC windows against any Rotting, Warping and Cracking from the manufacture counter signed by the contactor (5 years waranty for hardwares, sealant, lock, roller etc)		
5 (ए)	In single leaf		
	Block B,C,D,E Approximate Window Size for 1 Flat:		
	Bedrooms (500mmX1200mm)X2 Nos		
	Total 32 Flats	वर्गमीटर	39
5 (ख)	In Double leaf		
	Community Hall X 26 nos		
	(825mmX1670mm)	वर्गमीटर	36

	Total Cost		
6	Add GST	एलएस	1
	Total Cost including GST		
7	Buyback for old Windows	एलएस	-1
	जीएसटी और बायबैक सहित कुल लागत		

कुल-

दिनांक:

पते और मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

स्थान:



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में
लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

ई-निविदा संख्या: आरबीआई / भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय / संपदा / 8 / 25-26 / ईटी / 219

भाग -II

ठेकेदार का नाम _____

पता _____

बोली बंद करने की तिथि: - 01 अगस्त, 2025, 14.00 बजे तक



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

"बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा"

उद्देशिका

उद्धृत दरों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

मात्रा की अनुसूची में दर्शाई गई वस्तु और मात्रा अस्थायी हैं और कार्य की आवश्यकता के अनुसार हैं और जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है, कुछ वस्तुओं/मात्राओं को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है या किसी भी हद तक मात्रा में कमी के साथ निष्पादित किया जा सकता है। ठेकेदार को बैंक के निदेश के अनुसार वस्तुओं/मात्राओं का निष्पादन करना होता है और मदों के संचालन न होने/मात्रा में कमी के संबंध में बैंक द्वारा इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठेका श्रम अधिनियम, 1970 (बाद में संशोधन यदि कोई हो) और उसमें नियमों के तहत सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए अपेक्षित शुल्क।

सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण नियमों का पालन करने वाले ठेकेदार द्वारा किए गए सभी लागतों और शुल्कों के लिए प्रदान करना, साइट पर कार्यरत कर्मचारियों और कार्य करने वाले लोगों के लिए।

नवीकरण/निर्माण/मरम्मत/अवधि के दौरान साइट को कार्यों से उत्पन्न होने वाले मलबे से मुक्त रखना और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए कार्य पूरा होने पर साइट को मलबे से मुक्त छोड़ना।

बिजली की रोशनी प्रदान करना, सिस्टम को बनाए रखना, सभी कार्यों के लिए आवश्यक और पूरा होने पर अस्थायी प्रतिष्ठानों को हटा दें।

चिनाई/कंक्रीट/फर्श/दीवारों/पार्टिशन आदि में आवश्यक छेद/जेब/चेज़ बनाना और बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के आसपास के विनिर्देश से मेल खाने वाले नुकसान को पूरा करना।

आवश्यक मचान प्रदान करना और खड़ा करना और कार्य क्षेत्र के लिए पहुंच प्रदान करना जैसा कि मरम्मत कार्यों को पूरा करने और सभी स्तरों और ऊंचाइयों पर कार्य के निरीक्षण के लिए हो सकता है और कार्य के संतोषजनक समापन के बाद इसे हटा दिया जाता है।

साइट का निरीक्षण करने और संबंधित कार्यों से परिचित होने के लिए शुल्क दरों को उद्धृत करने से पहले किए जाने वाले कार्यों के लिए बस विचार करें।

पूरे कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर एक योग्य पर्यवेक्षक की सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक शुल्क और बैंक से निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार कार्य करने के लिए कार्य स्थल पर उपलब्ध होगा।

ठेकेदारों को कार्य सौंपने के तुरंत बाद एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा और कार्य शुरू होने से पहले इसे बैंक से अनुमोदित करना होगा।

दरों में बैंक के परिसर से सभी मलबे आदि को हटाना और हटाना भी शामिल होगा।

ठेकेदारों को बैंक के सत्यापन के लिए सामग्री की प्रत्येक आपूर्ति के लिए मूल चालान प्रदान करने के लिए। यदि यह प्रदान नहीं किया जाता है और विनिर्देशों/अनुमोदित मेक के अनुसार नहीं पाई गई सामग्री को भुगतान के लिए मापा नहीं जाएगा।

सीमेंट और वाटरप्रूफ पेंट के उपयोग से जुड़े कार्य की वस्तुओं का उपचार।

दरों में सभी अपेक्षित कर, जीएसटी, परिवहन शुल्क आदि और कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामान शामिल होने चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी सामग्रियों और श्रम की कीमतों में सभी उतार-चढ़ाव ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।

स्थान: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर
नाम और पता



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर
मात्राओं की अनुसूची

कार्य का नाम : बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

बैंक के ऑफिसर्स कार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा में ए ब्लॉक से ई ब्लॉक और कम्युनिटी हॉल में लगी खिड़कियों को बदलकर यूपीवीसी खिड़कियां लगाने हेतु निविदा

क्र. सं.	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	जीएसटी को छोड़कर लागत	जीएसटी को छोड़कर कुल लागत
	आपूर्ति, निर्माण और विनिर्माण विनिर्देश के अनुसार स्थिति में फिक्सिंग uPVC किस्म स्लाइडिंग / खिड़की खिड़कियां				
1	वाइब्रेटर का उपयोग किए बिना मौजूदा खिड़की के फ्रेम और शटर को सावधानीपूर्वक हटाना, कॉलोनी परिसर के भीतर दिखाए गए स्थान पर हटाई गई बचाए जा सकने वाली वस्तुओं को स्थानांतरित करना और ढेर करना, बैंक के इंजीनियरों के निर्देशानुसार पुरानी खिड़कियों के फ्रेम और शटर आदि को हटाने के लिए छूट सहित कॉलोनी परिसर से मलबे का निपटान करना और बाहर ले जाना	हर	260		
2	मरम्मत				
	2.5 वर्ग मीटर और उसके नीचे के क्षेत्र के पैच में 12 मिमी से 20 मिमी मोटाई के प्लास्टर की मरम्मत, जिसमें पैच को उचित आकार में काटना, जोड़ों को बाहर निकालना और दीवारों की सतह को तैयार करना और पलस्तर करना शामिल है, जिसमें डंपिंग ग्राउंड में कचरे का निपटान शामिल है, सभी इंजीनियर-प्रभारी के निर्देश के अनुसार पूरा किया गया है	वर्गमीटर	100		

3	डबल मचान				
	बाहरी तरफ डबल मचान प्रणाली (कप लॉक प्रकार) प्रदान करना और ठीक करना, सात मंजिला ऊंचाई तक 40 मिमी व्यास एमएस ट्यूब 1.5 मीटर केंद्र से केंद्र तक, क्षेत्रिज और ऊर्ध्वाधर ट्यूब को कप और लॉक सिस्टम के साथ जोड़ना एमएस ट्यूब, एमएस ट्यूब चैली, एमएस क्लैप और एमएस. उसके बाद। मचान प्रणाली को ब्रेसिंग, रनर, भवन के साथ कनेक्शन आदि के साथ सख्त किया जाएगा, जहां भी आवश्यक स्थानों पर कार्य के निरीक्षण के लिए आवश्यक स्थानों पर श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं के साथ कर्मचारियों आदि के लिए निर्देशों और इंजीनियर-प्रभारी के अनुमोदन के अनुसार पूरा किया जाएगा। मचान के ऊंचाई क्षेत्र को भुगतान उद्देश्य के लिए मापा जाएगा। मचान की अवधि के बावजूद भुगतान एक बार किया जाएगा।	वर्गमीटर	2000		
4	यूपीवीसी विंडो (स्लाइडिंग)				
	टफेन ग्लास 5-6 मिमी मोटी और फिटिंग के साथ uPVC स्लाइडिंग खिड़की निम्नलिखित विवरण विनिर्देशों और आकारों के अनुसार विनिर्माण विनिर्देश के अनुसार स्थिति में निर्माण और फिक्सिंग यूपीवीसी किस्म स्लाइडिंग खिड़कियां फ्रेम वर्क और सभी आवश्यक सामान और हार्डवेयर के अनुसार, संरचनात्मक रूप से गर्म डुबकी जस्ती लगभग 50 माइक्रोन के साथ प्रबलित i) उपयोग किए जाने वाले यूपीवीसी विंडो फ्रेम और स्लाइडिंग शटर फ्रेम सफेद/आइवरी रंग के होंगे या बैंक द्वारा अनुमोदित होंगे और कम से कम 1.0 मिमी मोटी गैल्वेनाइज्ड आयरन सुदृढीकरण के साथ यूपीवीसी एक्सट्रॉड खोखले प्रोफाइल से कम से कम 2.20 मिमी मोटी नहीं होनी चाहिए।	वर्गमीटर	400		

<p>ii) बैंक विंडो फ्रेम वर्क द्वारा अनुमोदित चौतरफा परिधीय यूपीवीसी सफेद रंग/आइवरी कलर 3-ट्रैक प्रकार से बाहर होगा और लगभग 45 मिमी X 108 मिमी क्रॉस सेक्शनल आकार का होगा।</p> <p>iii) स्लाइडिंग विंडो शटर का चौतरफा फ्रेम वर्क लंबी/बड़ी खिड़कियों के लिए लगभग 58 मिमी x 39 मिमी क्रॉस सेक्शनल आकार के सैश से बाहर होगा</p> <p>iv) पूरी खिड़की प्रणाली को तीन स्लाइडिंग शटर के साथ प्रदान किया जाएगा और जिनमें से दो 5-6 मिमी मोटी स्पष्ट टफन्ड ग्लास के साथ ग्लेझ्ड प्रकार प्रदान किए गए हैं। शेष एक शटर पैनल को एसएस वायर मेश - एसएस 304 ग्रेड 24 एसडब्ल्यूजी तार (दोनों तरफ) के साथ प्रदान किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 144 एपर्चर प्रति वर्ग इंच होंगे, जिसमें सभी आवश्यक सामान जैसे एफपीवीसी गैसकेट आदि का उपयोग किया जाएगा। पूरी खिड़की की जॉह्नरी को प्यूजन वेल्डिंग प्रदान करने के साथ-साथ 45 डिग्री मीटर कट के साथ बनाया जाएगा।</p> <p>v) निचले फ्रेम के सदस्य को न्यूनतम 5 मिमी x 20 मिमी आकार के आवश्यक नाली DRAIN SECTION/PERFORATIONS / SLOTS और खिड़कियों के बाहरी फ्रेम पर आवश्यक शेटलर कवर के साथ विधिवत प्रदान किया जाएगा ताकि बारिश के पानी की आसानी से निकासी सुनिश्चित हो सके</p> <p>vi) सभी स्लाइडिंग शटर को मानक विनिर्माण विनिर्देश और विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर जैसे आवश्यक संख्या, हैवी ड्यूटी स्लाइडिंग बॉल बेयरिंग टाइप व्हील प्रदान किए जाएंगे ताकि शटर की नरम और चिकनी स्लाइडिंग सुनिश्चित की जा सके और छुपा लॉकिंग व्यवस्था में ढूबे हुए बिल्ट-इन हैंडल शामिल हों।</p>			
--	--	--	--

<p>vii) चौतरफा जाम और सॉफिट्स फ्रेम पर पूरे यूपीवीसी विंडो केस को उचित रूप से ठीक करने के बाद, बाहरी तरफ से पानी का रिसाव / रिसाव सुनिश्चित करने के लिए प्रेशर गन या उपयुक्त विधि का उपयोग करके स्पष्ट सिलिकॉन का उपयोग करके चारों ओर के किनारों/अंतराल को विधिवत सील किया जाएगा।</p>			
<p>दर को दरवाजे के फ्रेम से पानी निकालने के लिए सिल स्तर पर बाहरी तरफ आवश्यक छेद बनाने की लागत शामिल होगी।</p>			
<p>नोट: i) इंगित किए गए खिड़की के खुलने के आकार अनुमानित हैं। ठेकेदार साइट का निरीक्षण करेगा और कार्य के पूरे दायरे से परिचित होगा और साथ ही, उद्धृत करने से पहले दिए गए आकारों की पुष्टि करेगा। ठेकेदार इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी भी मामले में दोनों तरफ के आकार में किसी भी बदलाव के कारण किसी भी अतिरिक्त पर विचार नहीं किया जाएगा। ii) इस दर में संपर्ककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित निर्माण काउंटर से किसी भी सङ्गति, विकृति और क्रैकिंग के प्रति आपूर्ति की गई यूपीवीसी खिड़कियों के लिए 10 साल की लिखित वारंटी जमा करने के लिए उपयुक्त रूप से शामिल होगा (हार्डवेयर, सीलेंट, लॉक, रोलर्स आदि के लिए 5 साल की वारंटी)</p>			
<p>Block A Approximate Size of Window For 1 Flat:</p>			
Hall (2500mmX1200mm)			
Bedroom (1000mmX1200mm)-3No			
Bedroom (1500mmX1200mm)-2Nos			
Kitchen (1000mmX1200mm)			
Servant Room (1000mmX1200mm)			
Total 5 flats			
<p>Block B,C,D,E Approximate Size of Window for 1 Flat:</p>			
Hall (2000mmX1200mm)			
Kitchen/ Servant (1000mmX1200mm)-2Nos			

	<p>Bedroom (1500mmX1200mm)-3Nos</p> <p>Total 32 flats</p> <p>Note: The above dimensions are approximate.</p> <p>Note: For exact measurements, the vendor are advised to visit the site.</p>			
5	<p>यूपीवीसी विंडो (खिड़की)</p> <p>टफेन ग्लास और फिटिंग के साथ uPVC खिड़की खिड़की</p>			
	<p>(i) बैंक द्वारा अनुमोदित यूपीवीसी WHITE/ IVORY COLOUR OR COLOUR की आपूर्ति, फिटिंग, फिक्सिंग, केसमेंट विंडो विधिवत निर्मित, फ्रेम वर्क और सभी आवश्यक सहायक उपकरण के साथ-साथ केसमेंट विंडो सैश प्रोफाइल के लिए लगभग 60 मिमी एक्स 50 मिमी एक्स 2.25 मिमी के यूपीवीसी प्रबलित प्रोफाइल का उपयोग करके एकल ग्लेजिंग सिस्टम को संरचनात्मक रूप से माउंट करने में सक्षम है, 1.5 मिमी की न्यूनतम मोटाई के लगभग 50 माइक्रोन पूर्वनिर्मित और फ्यूजन वेल्डिंग के माध्यम से वेल्डेड विनो सैश के साथ फिट किया जाएगा। 5-6 मिमी मोटी स्पष्ट टफन्ड ग्लास विधिवत ईपीडीएम अपक्षय सील प्रतिरोधी सहायक उपकरण जैसे LIKE CLIPPING LOCKING SYSTEM MADE OF ALUMINIUM APPROXIMATE 1 NO PER SET OF SASHES और सिस्टम को एंकर फास्टनरों, सिलिकॉन रबर सीलेंट, साइट पर आसान ग्लेजिंग/डीग्लेजिंग आदि का उपयोग करके साइट पर स्थापित किया जाना है, जिसमें सभी materials accessories labour charges, of all materials and products confirming to ASTM D 638-14 EN-477-95 and other applicable codes and standards शामिल हैं।</p>			

	ii) नीचे के सदस्य को आवश्यक जल निकासी DRAIN SECTION/PERFORATIONS / SLOTS और खिड़कियों के बाहरी फ्रेम पर आवश्यक शेटलर कवर के साथ विधिवत प्रदान किया जाएगा ताकि बारिश के पानी की आसानी से निकासी सुनिश्चित की जा सके			
	iii) सभी विंडो को मानक विनिर्माण विनिर्देश और विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर जैसे छिपे हुए लॉकिंग वाले हैंडल के साथ प्रदान किया जाएगा।			
	iv) पूरे यूपीवीसी विंडो केस को उचित रूप से ठीक करने के बाद, बाहरी तरफ से पानी का रिसाव / रिसाव सुनिश्चित करने के लिए प्रेशर गन या किसी उपयुक्त विधि का उपयोग करके क्लियरसिलिकॉन का उपयोग करके चारों ओर के किनारों/अंतराल को विधिवत सील किया जाएगा।			
	(v) दर को दरवाजे के फ्रेम से पानी निकालने के लिए सिल स्तर पर बाहरी तरफ आवश्यक छेद बनाने की लागत शामिल होगी।			
5 (ए)	नोट: i) इंगित किए गए खिड़की के खुलने के आकार अनुमानित हैं। ठेकेदार साइट का निरीक्षण करेगा और कार्य के पूरे दायरे से परिचित होगा और साथ ही, उद्धृत करने से पहले दिए गए आकारों की पुष्टि करेगा। ठेकेदार इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी भी मामले में दोनों तरफ के आकार में किसी भी बदलाव के कारण किसी भी अतिरिक्त पर विचार नहीं किया जाएगा। ii) इस दर में संपर्ककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित निर्माण काउंटर से किसी भी सङ्गने, विकृत और क्रैकिंग के प्रति आपूर्ति की गई यूपीवीसी खिड़कियों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की लिखित वारंटी जमा करने के लिए उपयुक्त रूप से शामिल होगा (हार्डवेयर, सीलेंट, लॉक, रोलर्स आदि के लिए 5 वर्ष)			
5 (ए)	In single leaf			
	Block B, C, D, E Approximate Window Size for 1 Flat:			
	Bedrooms (500mmX1200mm) X2 Nos			

	Total 32 Flats	वर्गमीटर	39		
5 (ख)	In Double leaf				
	Community Hall X 26 nos				
	(825mmX1670mm)	वर्गमीटर	36		
	Total Cost				
6	Add GST @ 18 %	एलएस	1		
	जीएसटी सहित कुल लागत				
7	पुरानी खिड़कियों के लिए बायबैक	एलएस	-1		
	जीएसटी और बायबैक सहित कुल लागत				

कुल योग-

दिनांक:

पते और मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

स्थान: